राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं पर पुस्तिका

09-11-2018 से प्रभावी

क्रम सं.	ब्योरा
भाग क	सामान्य नियम एवं शर्तें
भाग ख	आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) के लिये विभिन्न योजनाओं की विशेष शर्तें एवं नियम / अपेक्षाएं
भाग ग	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों (एसएफबी) के लिये विभिन्न योजनाओं की विशेष शर्तें एवं नियम / अपेक्षाएं
भाग घ	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिये विभिन्न योजनाओं की विशेष शर्तें एवं नियम / अपेक्षाएं
भाग ड.	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसीओबी) के लिये विभिन्न योजनाओं की विशेष शर्तें एवं नियम / अपेक्षाएं
अनुबंध I	आवास वित्त कंपनियों के लिये प्रारूप
एनएचबी-एचएफसी-01	पुनर्वित्त सीमा के लिये आवेदन
एनएचबी-एचएफसी-02	पुनर्वित्त संवितरण के लिये आवेदन
एनएचबी-एचएफसी-03	प्रत्याशित ऋणों के लिये पुनर्वित्त के प्रयोग का प्रमाण पत्र
एनएचबी-एचएफसी-04	तिमाही विवरणी
एनएचबी-एचएफसी-05	प्रतिकूल शेष विवरणी का छमाही प्रमाण पत्र
एनएचबी-एचएफसी-06	उधारों की छमाही सूचना
एनएचबी-एचएफसी-07	नकारात्मक धारणा प्रसंविदा की वार्षिक पुष्टि
एनएचबी-एचएफसी-08	वार्षिक विवरणी
एनएचबी-एचएफसी-09	लाभार्थियों के वर्गीकरण की वार्षिक विवरणी
अनुबंध II	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये प्रारूप
एनएचबी-एससीबी-01	पुनर्वित्त सीमा के लिये आवेदन
एनएचबी-एससीबी-02	पुनर्वित्त संवितरण के लिये आवेदन
अनुबंध III	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये प्रारूप
एनएचबी-आरआरबी-01	पुनर्वित्त सीमा के लिये आवेदन
एनएचबी-आरआरबी-02	पुनर्वित्त संवितरण के लिये आवेदन
अनुबंध IV	शहरी सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के लिये प्रारूप
एनएचबी-यूसीबी-01	पुनर्वित्त सीमा के लिये आवेदन
एनएचबी-यूसीबी-02	पुनर्वित्त संवितरण के लिये आवेदन

खण्ड क

सामान्य नियम एवं शर्तें
जो सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों
पर लागू हैं)पीएलआई(

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

भूमिका

1.1 आवास बैंक (रा.आ.बैंक) प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को उनके द्वारा व्यक्तियों को दिये आवास ऋणों तथा अन्य संस्थानों को दिये आवास वित्त तथा वहनीय आवास के निर्माण के लिये उनके ऋणों के लिए पुनर्वित्त सहायता देता है।

1.2 सम्पत्ति पर दिये गये ऋण (अर्थात मकान गिरबी रखकर ऋण देना किंतु निर्माण/ क्रय/ उन्नयन/ विस्तार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिये) पुनर्वित्त के लिये योग्य नहीं होते हैं।

1.3 साज-सज्जा और जुड़नारों के लिये और संसाधन शुल्क, सरसई शुल्क, दस्तावेज हैंडलिंग प्रमार और बीमा प्रीमियम (जीवन तथा गैर-जीवन दोनों) आदि के लिये दिये ऋण पुनर्वित्त के लिये योग्य नहीं होंगे।

1.4 ध्यान दिया जाये कि इस पुस्तिका में उल्लिखित नियम तथा नीतियां इन योजनाओं के तहत जारी पुनर्वित्त पर ही लागू होंगे और पीएलआई द्वारा पुरानी किन्हीं पुनर्वित्त योजनाओं हेतु लिये पुनर्वित्त पर लागू नहीं होंगे, उन पर संबंधित नियम एवं नीतियां पूर्ववत लागू रहेंगी।

रा.आ.बैंक की सभी पुनर्वित्त योजनाओं के तहत पीएलआई पर लागू सामान्य नियम तथा शर्तें

2. पात्रता मानदण्ड

2.1 आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिये

- निम्नलिखित मानदण्ड पूरे करने वाली आवास वित्त कंपनियां रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त लेने के लिये पात्र होंगी।
- आवास वित्त कंपनी को देश में आवास वित्त का कारोबार करने के लिये रा.आ.बैंक में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवास वित्त कंपनियों को मकान के इच्छुक व्यक्तियों को आवास इकाइयों के निर्माण/ क्रय / मरम्मत / उन्नयन के लिये दीर्घकालीन ऋण सहायता देनी चाहिए।
- आवास वित्त कंपनियों को अपनी कुल मूल आस्तियों का कम से कम 51 प्रतिशत, इसमें से व्यैक्तिक आवास ऋणों द्वारा दिये नकदी एवं बैंक शेष को छोड़कर निवेश करना चाहिए।
    - *व्यैक्तिक आवास ऋण वे ऋण होंगे जो 5 वर्ष तथा अधिक अवधि के लिये संस्वीकृत किये गये हैं।*
    - *कुल मूर्त आस्तियां, अमूर्त आस्तियां छोड़कर, कुल आस्तियां होंगी।*
    - *नकद तथा बैंक शेष में चल अल्पकालीन म्युचूअल फंडों में किया निवेश शामिल होगा जो निवल स्वत्व निधियों (एनओएफ) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।*
- आवास वित्त कंपनी की निवल स्वत्व निधियां 10 करोड़ रूपये से कम नहीं होनी चाहिए। एनओएफ का अर्थ वही होगा जैसेकि आवास वित्त कंपनी निर्देश, 2010 में परिभाषित किया गया है।
- आवास वित्त कंपनी को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010, समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।
- आवास वित्त कंपनी की निवल अनर्जक परिसम्पत्तियां (एनएनपीए) कुल अग्रिमों के 3.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनर्जक परिसम्पत्तियों का अर्थ वही होगा जैसेकि आवास वित्त कंपनी निर्देश, 2010, यथा अद्यतन संशोधित, में परिभाषित किया गया है। निवल अनर्जक परिसम्पत्तियों का अर्थ 'प्रावधान निकाल कर अनर्जक परिसम्पत्तियां' होता है। निवल अग्रिमों का अर्थ 'प्रावधान निकाल कर अग्रिम' होगा।

'अग्रिम' में, आवास ऋणों को छोड़कर, में बंधक ऋण, पट्टा लेनदेन, किराया क्रय आस्तियां, हुंडी बिल, अन्त: कारपोरेट जमा और सूची से इतर डिबेंचर शामिल होंगे।

उपर्युक्त अर्हता शर्तें मौजूदा तथा नए ग्राहकों पर यथावत् रहेंगी।

2.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये (एससीबी) के लिये

निम्नलिखित मानदंड पूरे करने वाले एससीबी रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त पाने के पात्र होंगे :

- जिनके निवल अग्रिम से निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात 3.50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हालांकि, रा.आ.बैंक प्रत्येक मामले के आधार पर अपने निवल अनर्जक परिसम्पत्ति मानदंडों में ढील पर विचार कर सकता है बशर्ते सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन हो जाए।
- जिसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत हो (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार)
- परिचालन लाभ विगत वर्ष में रहा हो।

2.3 स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिये (एसएफबी) के लिये

निम्नलिखित मानदंड पूरे करने वाले एसएफबी रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त पाने के पात्र होंगे :

- जिनके निवल अग्रिम से निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात 3.50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हालांकि, रा.आ.बैंक प्रत्येक मामले के आधार पर अपने निवल अनर्जक परिसम्पत्ति मानदंडों में ठील पर विचार कर सकता है बशर्ते सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन हो जाए।
- जिसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15 प्रतिशत हो (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार)
- परिचालन लाभ विगत वर्ष में रहा हो।

2.4 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एससीओबी) के लिये

निम्नलिखित मानदंड पूरे करने वाले यूसीबी और एससीओबी रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त पाने के पात्र होंगे :

- जिनके निवल अग्रिम से निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात 3.50 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- जिसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9.00 प्रतिशत हो (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार)
- बैंक पिछले दो वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा हो।

2.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये (आरआरबी)

निम्नलिखित मानदंड पूरे करने वाले आरआरबी रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त पाने के पात्र होंगे :

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची II के तहत अधिसूचित हो।
- सकारात्मक निवल स्वत्व निधियां हों।
- जिनके निवल अग्रिम से निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- जिसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत हो (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार)
- पिछले दो वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा हो।

2.6 शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों (एसीएचएफएस) के लिए

निम्नलिखित मानदंड पूरे करने वाले एसीएचएफएस रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त पाने के पात्र होंगे :

- सकारात्मक निवल पूंजी
- वसूली 75 प्रतिशत – 100 प्रतिशत तक पुनर्वित्त अनुमत्य

- वसूली 65 प्रतिशत – 50 प्रतिशत तक पुनर्वित्त अनुमत्य
- पिछले तीन वर्षों में लेखा परीक्षा वर्गीकरण क या ख हो
- बकाया ऋण के एनओएफ – (1:10)
- बकाया ऋणों में समंजित एनओएफ – (1:12.5)
- पिछले तीन वर्षों लाभ अर्जित कर रहा हो
- ऋणदाताओं को नियमित चुकौती करता रहा हो।

2.7 कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के लिये

निम्नलिखित मानदंड पूरे करने वाले एआरडीबी रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त पाने के पात्र होंगे :

- समग्र वसूली – पीसीएआरडीबी स्तर पर 60 प्रतिशत (फेडरल ढांचा होने के मामले में केवल) और एससीएआरडीबी स्तर पर 75 प्रतिशत (एकल ढांचा)
- 5 वर्ष से अधिक देयों की वसूली कानूनी कार्रवाई द्वारा की जाये
- किसी ऋणदाता के प्रति चूककर्ता न हो

2.8 पीएलआई को रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त सहायता पाने की पात्रता हेतु न्यूनतम निर्दिष्ट रेटिंग प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक ने पीएलआई को वित्तीय सहायता के लिये पात्रता का निर्धारण करने के लिये एक आन्तरिक ऋण रेटिंग मॉडल तैयार किया है।

3. पुनर्वित्त की मात्रा

पुनर्वित्त की अधिकतम मात्रा (पीएलआई के व्यैक्तिक आवास ऋण पोर्टफोलियो के प्रतिशत के रूप में) जो रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान की जा सकती है :

- एचएफसी 50 %
- एससीबी 100 %
- यूसीबी 100 %
- एससीओबी 100 %
- एआरडीबी 100 %
- आरआरबी – निवल अग्रिमों के निवल एनपीए पर आधारित अनुपात में निम्न प्रकार :

एनएनपीए (%)	**पुनर्वित्त की मात्रा**
<_ 5.0	100
>5.0 <_7.5	80
>7.5 <_10.0	50

- **एसीएचएफएस – वसूली के आधार पर, निम्न प्रकार :**

वसूली (%)	**पुनर्वित्त की मात्रा**
>_75	100
>_ 65 < 75	50

4. पुनर्वित्त की अवधि

4.1 पुनर्वित्त कम से कम 1 वर्ष और अधिकाधिक 15 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। पीएलआई अपनी जरूरत के अनुसार चुकौती की अवधि का चयन कर सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में केवल, अल्प अवधि का स्लैब 3, 6 और 9 माह भी अनुमत्य है।

4.2 विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के तहत न्यूनतम और अधिकतम अवधि संबंधित योजनाओं में निर्धारण के अनुरूप होगी, बशर्ते उक्त पैरा 4.1 अवधि का उल्लेख हो।

5. पुनर्वित्त की चुकौती

5.1 मूल राशि की चुकौती और ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर होगा।

5.2 मूल राशि की चुकौती संवितरण की तारीख से एक पूरी कैलेण्डर तिमाही के बाद शुरू होगा।

5.3 ब्याज का भुगतान संवितरण के शीघ्र बाद शुरू होने वाली तिमाही से शुरू होगा।

5.4 ब्याज और मूल धन के भुगतान की नियत तारीख प्रत्येक पुनर्वित्त जारी करने के बाद चुकौती तालिका में पीएलआई को सूचित की जाएगी।

6. चुकौती

6.1 पीएलआई द्वारा लिये गये पुनर्वित्त का समय-पूर्व चुकौती, निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करने के बाद बिना किसी चुकौती प्रभार के किया जा सकता है :

- वह पुनर्वित्त निम्न आय आवास वर्ग या नियमित पुनर्वित्त योजना के लिये रियायती दरों पर ग्रामीण आवास निधि, शहरी आवास निधि, विशेष शहरी पुनर्वित्त योजना के तहत लिया गया हो।
- आवास वित्त कंपनी ने भी इन्हीं योजनाओं के तहत अंतिम ऋणियों से कथित राशि प्राप्त की हो।
- दो सप्ताह का नोटिस देने के बाद चुकौती तिमाही में एक बार से अधिक नहीं किया जाता है।

6.2 इसके अतिरिक्त, जो केवल आवास वित्त कंपनियों पर लागू है, आवास वित्त कंपनियों द्वारा लिये पुनर्वित्त का भी समय पूर्व भुगतान, निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के बाद बिना किसी प्रभार के किया जा सकता है :

- कथित पुनर्वित्त कम से कम एक वर्ष तक रहा हो (नोटिस की अपेक्षित अवधि सहित), और
- रा.आ.बैंक को दो माह का पूर्व नोटिस दिया जाता है, और
- यह चुकौती किसी भी छमाही में (जनवरी-जून या जुलाई-दिसम्बर) एक बार से अधिक नहीं दिया जाता है।

6.3 अन्य सभी मामलों में, पीएलआई से समय पूर्व प्रभारों के सहित चुकौती कभी भी प्राप्त किया जा सकेगा जैसाकि नीचे दिया गया है और बशर्ते पीएलआई द्वारा दो माह का लिखित नोटिस दिया गया हो :

अवधि (संवितरण के बाद बीता समय)	**समय पूर्व भुगतान प्रभार**
1 वर्ष तक	राशि की 1.0 प्रतिशत का भुगतान
1 वर्ष से अधिक	राशि की 0.50 प्रतिशत का भुगतान

7. पुनर्वित्त के लिये प्रतिभूति

7.1 आवास वित्त कंपनियों के लिये

- आवास वित्त कंपनियों के मामले में, रा.आ.बैंक से लिये पुनर्वित्त को सामान्यता एचएफसी की ऋण बहियों पर प्रभार से प्रतिभूतिकृत किया जाता है। अन्य प्रतिभूति जैसे अचल परिसम्पत्तियों / चल परिसम्पत्तियों पर प्रभार, विकासक की व्यैक्तिक गारंटी, कारपोरेट गारंटी या विकासक संस्थान से सहूलियत पत्र आदि की मांग

रा.आ.बैंक के निर्णय पर निर्भर होती है। प्रतिभूति का निर्धारण प्रत्येक मामले के अनुसार किया जाता है। पात्र ऋणदाता संस्थान रा.आ.बैंक के पक्ष में ऐसे दस्तावेजों /वचन आदि उस रूप और प्रकार से निष्पादित करते हैं जैसाकि रा.आ.बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारण किया जाता है।

- यदि किसी समय रा.आ.बैंक यह समझता है कि एचएफसी द्वारा दी गई प्रतिभूति बकाया पुनर्वित्त के लिये अपर्याप्त हो गई है, तो वह एचएफसी को रा.आ.बैंक की संतुष्टि के अनुसार एक ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है जो उस कमी को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

7.2 एससीबी और एसएफबी के लिये

- **व्यैक्तिक लाभार्थियों से प्रतिभूति प्राप्त की जाए**
  - एससीबी को अपने प्रत्यक्ष आवास वित्त के बारे में उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अनुसार व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रतिभूति और मार्जिन का अनुपालन करना होता है।
  - प्राथमिक ऋण का ऋण जोखिम पूरी तरह एससीबी द्वारा लिया जाएगा और रा.आ.बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त की चुकौती करना होता है चाहे प्राथमिक ऋण खाता नियमित या अन्यथा हो।

- **पुनर्वित्त के लिये सहूलियत**
  - पुनर्वित्त लेने वाले एससीबी को एकबारगी करार ज्ञापन तथा प्राधिकार पत्र का निष्पादन करना होता है जिसमें रा.आ.बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक में उनके चालू खाता से, चूक होने के मामले में, नामे करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

7.3 आरआरबी के लिये

- **व्यैक्तिक लाभार्थियों से प्रतिभूति प्राप्त की जाए**
  - आरआरबी को अपने प्रत्यक्ष आवास वित्त के बारे में उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अनुसार व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रतिभूति और मार्जिन का अनुपालन करना होता है।
  - प्राथमिक ऋण का ऋण जोखिम पूरी तरह आरआरबी द्वारा लिया जाएगा और रा.आ.बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त की चुकौती करना होता है चाहे प्राथमिक ऋण खाता नियमित या अन्यथा हो।

- **पुनर्वित्त के लिये प्रतिभूति**
  - पुनर्वित्त लेने वाले एससीबी को एकबारगी करार ज्ञापन तथा प्राधिकार पत्र का निष्पादन करना होता है जिसमें रा.आ.बैंक को उनके प्रायोजक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक में उनके चालू खाता से, चूक होने के मामले में, नामे करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

8. ब्याज दर

8.1 पुनर्वित्त पर ब्याज मासिक आधार पर चक्रवृद्धि होगा और तिमाही देय होगा।

8.2 पुनर्वित्त सहायता ब्याज की स्थिर या चल दरों पर प्रदान किया जाएगा, जो संबंधित पुनर्वित्त योजनाओं के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

8.3 एचएफसी को चल या स्थिर ब्याज दर चुनने का विकल्प होगा और जो उनकी जरूरत व संबंधित पुनर्वित्त योजनाओं के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

8.4 एचएफसी से प्रभारित ब्याज दर संवितरण की तारीख पर प्रचलित दर होगी और यह रा.आ.बैंक द्वारा उसे दी गई आन्तरिक ऋण रेटिंग पर निर्भर करेगी। चुकौती अवधि पुनर्वित्त के तहत मांगी गई होगी। ब्याज दर में रा.आ.बैंक द्वारा आवधिक संशोधन हो सकता है और समय-समय पर इसकी सूचना दी जाएगी।

8.5 स्थिर ब्याज दर ऋणों को चल ब्याज दर ऋणों में बदलना तथा चल ब्याज दर ऋणों को स्थिर ब्याज दर ऋणों में बदलना

- एचएफसी, एससीबी, यूसीबी तथा एससीबी पर लागू
- आरआरबी, एसीएचएफएस तथा एआरडीबी पर लागू नहीं
- उस मामले में अनुमत्य नहीं जिन योजनाओं में केवल स्थिर दर पुनर्वित्त उपलब्ध है –
    - ग्रामीण आवास निधि
    - शहरी आवास निधि
    - निम्न आय वर्ग के लिये विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना
- **नोटिस अवधि** – एक सप्ताह
- **परिवर्तन प्रभार** – बकाया राशि के 0.25 प्रतिशत को परिवर्तित किया जा रहा है। संवितरण की अन्य शर्तें तथा नियम अपरिवर्तित रहेंगे। पुनर्मूल्यांकन के समय प्रस्तावित ब्याज दर का निर्धारण एलपीसी द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आईसीसी को शक्ति होगी कि वह पूरे या अंशत:, पुनर्मूल्यांकन शुल्क और नोटिस अवधि को माफ करे।
- **परिवर्तन की तारीखें** – अगले माह की पहला दिन
- **ऋणों का पुनर्मूल्यांकन**

  बैंक अपने ग्राहकों को नीचे दिये अनुसार ऋणों के पुनर्मूल्यांकन का विकल्प दे सकते हैं :

पात्र संस्थान	एससीबी, एचएफसी, यूसीबी तथा आरआरबी
पात्र योजनाएं	नियमित पुनर्वित्त
नोटिस अवधि	दस कार्य दिवस
पुनर्मूल्यांकन शुल्क	बकाया ऋण का 0.50 प्रतिशत
पुनर्मूल्यांकन की प्रभावी तारीख	अगले माह की पहला दिन
न्यूनतम पूरी हुई अवधि	संवितरण की तारीख से एक वर्ष
कितनी बार पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है	वित्त वर्ष में एक बार (जुलाई-जून) किंतु लगातार तिमाहियों में नहीं

  संवितरण के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

8.6 स्थिर ब्याज दर ऋणों की ब्याज दर का पुन: निर्धारण

8.6.1 यदि स्थिर ब्याज दर पर पुनर्वित्त सहायता दी जाती है तो रा.आ.बैंक को वह अवधि बीतने के बाद जिस पर रा.आ.बैंक और पीएलआई के बीच पुनर्वित्त संवितरण के समय सहमति बनी थी, बकाया ऋण पर ब्याज दरों को पुन: निर्धारित करने का विकल्प होगा। पुन: निर्धारित ब्याज दरों की प्रभावी तारीख होगी :

- यदि पुन: निर्धारण अवधि 3 वर्ष से कम है – वह दिन जब पुन: निर्धारण अवधि पूरी होती है।
- यदि पुन: निर्धारण अवधि 3 वर्ष या अधिक है – पुन: निर्धारण अवधि पूरी होने की अगली तिमाही का प्रथम दिवस।

8.6.2 लागू ब्याज दर उस समय प्रचलित स्थिर ब्याज दर होगी जो उस ऋण के चुकौती की मूल अवधि के बराबर होगी।

8.6.3 पुन: निर्धारण के समय, पीएलआई के पास विकल्प होगा कि वह या तो बकाया शेष पर संशोधित दरों पर बना रहे या बिना नोटिस अवधि के उसकी चुकौती कर दे।

8.7 चल दर वाले ऋणों पर ब्याज दर का पुन: निर्धारण

8.7.1 यदि पुनर्वित्त सहायता चल ब्याज दरों पर दिया गया है तो पुन: निर्धारित ब्याज दरों की प्रभावी तारीख होगी :

- यदि ब्याज दर रा.आ.बैंक की पीएलआर से सम्बद्ध है – पीएलआर बदलने वाली तिमाही से ठीक अगली तिमाही का प्रथम दिवस।
- यदि ब्याज दर आईएनबीएमके या किसी अन्य बाह्य बेंचमार्क से सम्बद्ध है – वह दिन जब पुन: निर्धारण अवधि पूरी होती है।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

9. पुनर्वित्त ऋण सीमा संस्वीकृति की प्रक्रिया

9.1 पीएलआई के लिये पुनर्वित्त ऋण सीमा की संस्वीकृति एक वर्ष के लिये होती है (जुलाई – जून)। यदि ऋण सीमा वर्ष के अंत तक (यथा 30 जून) अप्रयुक्त रह जाती है तो पीएलआई के अनुरोध पर उसे अगले वर्ष के लिये अग्रेषित किया जा सकता है। यदि वार्षिक ऋण सीमा का वर्ष का अंत होने से पूर्व ही पूरा प्रयोग कर लिया जाता है तो अतिरिक्त ऋण सीमा संस्वीकृति पर भी विचार किया जा सकता है।

9.2 पुनर्वित्त लेने के इच्छुक पीएलआई को एक निर्दिष्ट प्रारूप पर, पीएलआई पर लागू संलग्नक के अनुसार, अपना आवेदन अपेक्षित संलग्नकों /अनुलग्नकों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया

10.1 ऋण सीमा एक बार संस्वीकृत और संस्वीकृति पत्र द्वारा पीएलआई को सूचित करने के बाद, पीएलआई को संस्वीकृत ऋण सीमा के लिये दस्तावेजों को पूरा करना होगा।

10.2 दस्तावेजों का निष्पादन नीचे लिखे अनुसार करना होगा :

आ.वि.कं. के लिये : पात्र ऋणदाता संस्थान रा.आ.बैंक को वे दस्तावेज /हलफनामे आदि उस रूप एवं विषय वस्तु के साथ जैसेकि रा.आ.बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, प्रस्तुत / निष्पादित करेंगे।

दस्तावेजन प्रत्येक वर्ष के वार्षिक /अतिरिक्त ऋण सीमा के लिये होगा (ऐसे दस्तावेज शामिल होंगे जो पुनर्वित्त की प्रतिभूति के अनुसार अपेक्षित होंगे)।

एससीबी, एसएफबी, आरआरबी और यूसीबी के लिये : बैंक से अविकल्पी प्राधिकार पत्र (एलओए) लिया जाता है कि यदि उनके द्वारा कोई चूक होने पर, चाहे रा.आ.बैंक और उस बैंक के बीच कोई विवाद हो या उठ जाए जाए, रा.आ.बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक में उनके चालू खाता से नामे करने का प्राधिकार होगा। एलओए पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।

एआरडी और एसीएचएफ के लिये : संबंधित राज्य सरकार की गारंटी या एआरडी और एसीएचएफ की सम्पत्तियों और आस्तियों पर चल समरूप प्रभार।

10.3 दस्तावेजन पूरा होने के बाद, पीएलआई रा.आ.बैंक से निधियों का आहरण आरंभ कर सकते हैं।

11. संवितरण की प्रक्रिया

11.1 पुनर्वित्त संवितरण के लिये आवेदन, पीएलआई द्वारा उनके लिये निर्दिष्ट प्रारूप में करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संबंधित पुनर्वित्त योजना के संबंध में लागू अपेक्षाओं के अनुसार वांछित परिशिष्ट संलग्न करने होंगे।

11.2 आवेदन पत्र इस संबंध में यथावत प्राधिकृत पीएलआई के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। पीएलआई को प्रति वर्ष जुलाई से जून अवधि के लिये, निदेशक मंडल /मुख्य कार्यपालक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची, उनके नमूना हस्ताक्षर सहित, रा.आ.बैंक के रिकार्ड के लिये प्रस्तुत करनी होगी। यदि वर्ष के दौरान प्राधिकृत हस्ताक्षरियों की सूची में कोई बदलाव होता है तो रा.आ.बैंक को भी सूचित किया जाए।

11.3 माह के दौरान जारी पुनर्वित्त की राशि रा.आ.बैंक द्वारा पीएलआई को प्राप्त रेटिंग तथा उसे संस्वीकृत पुनर्वित्त सीमा के अनुसार प्रतिबंधित की जा सकती है।

12. पुनर्वित्त जारी करने का साधन

जारी पुनर्वित्त आरटीजीएस के माध्यम से एनईएफटी सुविधा युक्त किसी बैंक में पीएलआई के चालू खाता में स्थानान्तरित किया जाएगा। जारी करने का साधन और चालू खाता के अपेक्षित ब्योरों के साथ बैंक शाखा का ब्योरा भी संवितरण आवेदन प्रपत्र में, पीएलआई पर यथा लागू, रा.आ.बैंक को सूचित करना होगा।

13. चुकौती करने का साधन

13.1 सभी भुगतान रा.आ.बैंक, नई दिल्ली के नाम आरटीजीएस द्वारा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, नानिक मोतवानी मार्ग शाखा, मुम्बई में राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में उसके खाता सं. 00600350008114 में किये जाएं।

13.2 पीएलआई द्वारा रा.आ.बैंक को **मूल धन** की चुकौती नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :

i. आहरित पुनर्वित्त राशि की चुकौती रा.आ.बैंक को अधिकतम 15 वर्षों में समान तिमाही किस्तों में, रा.आ.बैंक द्वारा जैसा निर्धारित किया गया है, किया जाएगा।

ii. चुकौतियों की नियत तारीख प्रत्येक कैलेण्डर तिमाही की पहली तारीख होगी (यथा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर)।

iii. मूल धन की चुकौती पुनर्वित्त संवितरण के बाद एक पूरी कैलेण्डर तिमाही के अंतराल के बाद शुरू होगा और जैसेकि रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। *उदाहरणार्थ, यदि पुनर्वित्त का संवितरण 04*

अप्रैल, 2018 को किया गया तो मूल धन की प्रथम किस्त के चुकौती की नियत तारीख 1 अक्तूबर, 2018 होगी अर्थात जुलाई से सितम्बर, 2018 तक एक कैलेण्डर तिमाही के अंतराल के बाद।

13.3 पीएलआई द्वारा रा.आ.बैंक को ब्याज का भुगतान नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :

i. पुनर्वित्त पर रा.आ.बैंक को देय ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर की जाएगी और मासिक आधार पर प्रभारित होगा।

ii. ब्याज गणना के लिये, एक वर्ष में 365 दिन माने जाएंगे, चाहे वर्ष लीप वर्ष हो या सामान्य।

iii. ब्याज का भुगतान पुनर्वित्त संवितरण की तारीख के ठीक बाद कैलेण्डर तिमाही के प्रथम दिवस से शुरू हो जाएगा।
उदाहरणार्थ, यदि पुनर्वित्त का संवितरण 04 अप्रैल, 2018 को किया गया तो पुनर्वित्त पर पहला ब्याज भुगतान के लिये 1 जुलाई, 2018 को देय होगा।

iv. पुनर्वित्त पर ब्याज संवितरण की तारीख से रा.आ.बैंक के पक्ष में प्रोद्भूत होना शुरू हो जाएगा।

13.4 यदि मूल धन के चुकौती / ब्याज भुगतान की नियत तारीख पर रा.आ.बैंक के मुम्बई कार्यालय में अवकाश होता है, और यदि देय राशियां तिमाही के **प्रथम तीन कार्य दिवसों** में रा.आ.बैंक को प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें भुगतान देय है, अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। यद्यपि, पीएलआई देय राशि पर ब्याज की लागू दरों पर, रा.आ.बैंक के मुम्बई कार्यालय को भुगतान की तारीख तक अतिरिक्त दिनों का ब्याज भुगतान करेगा। इस संबंध में यह ध्यान दिया जाए कि रा.आ.बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य द्वारा घोषित अवकाश, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1949 की शर्तों के अनुसार, मनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान में रखें कि रा.आ.बैंक में पांच दिन का सप्ताह होता है, तदनुसार इसके कार्यालय शनिवार तथा रविवार को बंद रहते हैं।

13.5 यदि किस्त की चुकौती और ब्याज का भुगतान नियत तारीख से पहले किया जाता है तो उसे नियत तारीख पर ही जमा किया जाएगा।

13.6 रा.आ.बैंक के मुम्बई कार्यालय को **प्रथम तीन कार्य दिवसों के बाद किसी देरी** के लिये, पीएलआई उस कुल विलम्ब अवधि के लिये चूक राशि पर, लागू दर से अतिरिक्त **दो प्रतिशत प्रति वर्ष** की दर से अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करेगा।

13.7 पीएलआई नियत तारीखों पर रा.आ.बैंक को शीघ्र भुगतान करेगा चाहे उसने उधारकर्ताओं से राशि वास्तव में वसूल की हो या नहीं।

14. रा.आ.बैंक को आवधिक विवरणियां (केवल एचएफसी पर लागू)

रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त वाली एचएफसी को रा.आ.बैंक को विभिन्न विवरणियां / सूचना आवधिक आधार पर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। पीएलआई को ये विवरणियां प्रस्तुत करने में नियमित और समय बद्ध होना चाहिए। रा.आ.बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां निम्नानुसार हैं :

अवधि	**विवरणी का नाम**	**प्रस्तुत करने की समयावधि**
तिमाही	रा.आ.बैंक-एचएफसी-04 (तिमाही विवरणी)	तिमाही अंत से एक माह के अंदर
छमाही	रा.आ.बैंक-एचएफसी-05 (प्रतिकूल शेष प्रमाण पत्र) ▪ अनुलग्नक I (फ्लैग्ड ऋणों की विवरणी)	छमाही अंत से दो माह के अंदर

वार्षिक	रा.आ.बैंक-एचएफसी-06 (एचएफसी द्वारा लिये ऋणों के बारे में छमाही सूचना जब ऋण बहियों पर प्रभार द्वारा पुनर्वित्त लिया गया हो)	छमाही अंत से 30 दिन के अंदर
	रा.आ.बैंक-एचएफसी-07 (नकारात्मक स्वत्वाधिकार प्रसंविदा की वार्षिक पुष्टि)	वर्ष अंत से 15 दिन के अंदर
	रा.आ.बैंक-एचएफसी-08 (वार्षिक विवरणी)	वर्ष अंत से दो माह के अंदर
	रा.आ.बैंक-एचएफसी-09 (लाभार्थियों के वर्गीकरण हेतु वार्षिक विवरणी)	वित्त वर्ष अंत से एक माह के अंदर

15. अन्य नियम एवं शर्तें

15.1 प्रत्याशित ऋण (केवल आ.वि.कं. पर लागू)

15.1.1 एचएफसी प्रत्याशित ऋणों के लिये पुनर्वित्त ले सकती हैं, किंतु इस शर्त पर कि प्रत्याशित ऋणों के लिये आहरित राशि को आहरण की तारीख से तीन माह की अवधि में व्यैक्तिक आवास ऋणों के लिये पूरी तरह प्रयोग किया जाए।

15.1.2 प्रत्याशित ऋणों के लिये पुनर्वित्त लेने पर, एचएफसी को आहरण की तारीख से तीन माह की अवधि में प्रत्याशित ऋणों का प्रयोग करने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15.1.3 प्रत्याशित संवितरणों के लिये आहरित पुनर्वित्त के अप्रयुक्त अंश पर पुनर्वित्त पर लागू ब्याज दर से अतिरिक्त 2 प्रतिशत की दर से ब्याज पूरी अवधि के लिये प्रभारित किया जाएगा यदि एचएफसी निर्धारित समयावधि में पुनर्वित्त की पूरी राशि का इस्तेमाल करने में असफल रहती है।

15.1.4 उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्रारूप **रा.आ.बैंक-एचएफसी-03** में प्रत्याशित ऋणों के लिये आहरित पुनर्वित्त की तारीख से तीन माह के अंत से 14 दिनों के अंदर यह पुष्टि करते हुए प्रस्तुत करना होगा कि आहरित राशि का प्रयोग उस योजना के तहत व्यैक्तिक आवास ऋणों हेतु अग्रिम प्रदान करने के लिये पूरा प्रयोग किया गया जिसके लिये प्रत्याशित पुनर्वित्त आहरित किया गया था, और यह सत्यापन भी करेगी कि इन ऋणों को रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त के लिये यथावत फ्लैग्ड किया गया है।

15.2 प्रतिकूल शेष (केवल आ.वि.कं. पर लागू)

15.2.1 प्रतिकूल शेष पुनर्वित्त के लिये फ्लैग्ड ऋणों के बकाया शेष से अतिरिक्त बकाया पुनर्वित्त होता है, दोनों की गणना समान तारीख से की गई।

15.2.2 रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त आहरित करने वाली एचएफसी एक प्रमाण पत्र निर्दिष्ट प्रारूप **रा.आ.बैंक-एचएफसी-05** पर प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च और 30 सितम्बर को, उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों से यथावत प्रतिहस्ताक्षरित, यह पुष्टि करते हुए प्रस्तुत करेंगी कि रा.आ.बैंक से आहरित पुनर्वित्त की बकाया राशि कुल बकाया आवास ऋणों से अधिक नहीं है जिनके लिये पुनर्वित्त लिया गया था।

15.2.3 यदि रा.आ.बैंक को आवास वित्त कंपनी द्वारा देय बकाया पुनर्वित्त उन सभी बकाया आवास ऋणों से जिनके लिये एचएफसी द्वारा पुनर्वित्त आहरित किया गया था यथा प्रतिकूल शेष, अधिक होता है तो आवास वित्त कंपनी प्रतिकूल शेष के समकक्ष पुनर्वित्त का भुगतान रा.आ.बैंक को करेगी। यह ध्यान दिया जाए कि मांग के आधार पर

किये गये अग्रिम भुगतान जो आगामी तिमाही की प्रथम तारीख पर देय होते हैं, प्रतिकूल शेष की गणना करते समय बकाया पुनर्वित्त से संमजित नहीं करना चाहिए।

15.2.4 प्रतिकूल शेष के मामले में, एचएफसी प्रमाण-पत्र रा.आ.बैंक को भेजने से पहले उसे अपने निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगी।

15.2.5 उपर्युक्त प्रमाण पत्र मिलने पर, रा.आ.बैंक आवास वित्त कंपनी को पुनर्वित्त की राशि चुकता करने के बारे में सूचित करेगा। आवास वित्त कंपनी को यह सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के अंदर राशि का भुगतान करना होगा। ऐसे भुगतानों के लिये ऋण रा.आ.बैंक के बैंक खाते में राशि जमा होने की तारीख पर दिया जाएगा। आवास वित्त कंपनी उन जारी पुनर्वित्त की सूची (यथा पुनर्वित्त के प्रत्येक आहरण से संबंधित ऋण खाता) प्रस्तुत करेगी जिनमें प्रतिकूल शेष हुआ, साथ ही प्रत्येक पुनर्वित्त ऋण खाते के बारे में कुल बकाया आवास ऋण भी दर्शाया जाए। रा.आ.बैंक को लौटाई गई राशि का तदनुसार समंजन किया जाएगा।

15.2.6 इस परिप्रेक्ष्य में, निम्नलिखित पर ध्यान दें –

- वे ऋण खाते जो स्थिर ब्याज दर से भिन्न ब्याज दर में बदले जाने या किसी अन्य कारण से समय-पूर्व बंद कर दिये गये और उसी ऋणकर्ता और उसी आवास इकाई के लिये नया ऋण खाता खोला गया जिसे प्राइमरी प्रतिभूति के रूप में वित्त पोषण किया गया, को रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त के तहत फ्लैग्ड आवास ऋण में बने रहने दिया जाएगा, तथा उसकी गणना प्रतिकूल शेष में नहीं की जाएगी।
- संपार्श्विक प्रतिभूति / अतिरिक्त मार्जिन अपेक्षाओं के प्रयोजनार्थ फ्लैग्ड /कवर्ड बही ऋणों को उन सभी बकाया आवास ऋणों के कुल योग में गणना के लिये शामिल नहीं किया जाएगा जिनके लिये पुनर्वित्त यथा 31 मार्च/ 30 सितम्बर को लिया गया, अर्थात पुनर्वित्त के कारण बही ऋणों की प्रतिभूति के अलावा अतिरिक्त नियत मार्जिन को प्रतिकूल शेष की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह अतिरिक्त मार्जिन संपार्श्विक प्रतिभूति के लिये होगा और उसे बकाया पुनर्वित्त पर बनाये रखना है।
- वे ऋण खाते जिनके लिये रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त लिया गया है, आवास वित्त कंपनी के रिकार्ड में अलग से पहचान वाले होने चाहिए और ऐसे सभी खातों की सूची एचएफसी के पास उपलब्ध होनी चाहिए तथा उसे रिकार्ड में अद्यतन बनाये रखा जाए।
- यदि ऋण देने के सामान्य परिचालन में ऋणों को समय-पूर्व बंद कर देने या अधिक चुकौती करने के कारण प्रतिकूल शेष हुआ हो, तो प्रतिकूल शेष की गणना करते समय उन्हें स्वत: ही शामिल कर लिया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए और रा.आ.बैंक की सूचना पर चुकता किया जा सकता है। प्रतिकूल शेष के कारण ऐसे चुकौतियों पर कोई लेवी नहीं लगेगी।
- प्रत्याशित ऋणों के लिये जारी निधियों, छमाही विवरणी से 3 माह से अधिक पहले नहीं, को आवास ऋणों के लिये दिये अंतराल समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिकूल शेष की गणना में रा.आ.बैंक बकाया के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।

15.3 रा.आ.बैंक के अतिरिक्त संस्थानों से ऋण (केवल आवास वित्त कंपनियों पर लागू)

15.3.1 <u>बांड / डिबेंचर जारी करके ऋण संग्रहण</u>

यदि बांड / डिबेंचर, चाहे अप्रतिभूतिकृत या प्रतिभूतिकृत हों, सूचीबद्ध हों या संस्थागत बिक्री हो, के द्वारा ऋण लिया जाता है तो कंपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिये आवेदन करेगी। एनओसी के लिये आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अपेक्षित होगा:

- बांड / डिबेंचर जारी करने के लिये निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिये रखे ज्ञापन/ टिप्पणियों और पारित प्रस्ताव की प्रतियां।
- बांड / डिबेंचर इश्यू की विवरणिका की सत्यापित प्रति।
- एचएफसी के अनुरोध पर, रा.आ.बैंक एनसीडी/ बांडों के द्वारा निधियां जुटाने के लिये एचएफसी को वार्षिक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। एचएफसी को अपनी वार्षिक ऋण योजना तथा एनसीडी/ बांड योजना प्रस्तुत करनी होगी, वांछनीय होगा उनके वित्त वर्ष के आरंभ में। इसके अतिरिक्त, एचएफसी को एनसीडी/ बांड जारी करने के 10 दिन के अंदर, उनके पूरे विवरण और एचएफसी की घोषणा कि रा.आ.बैंक की पुनर्वित्त सहायता से संबंधित किसी भी प्रतिभूति संबंधी धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है, प्रस्तुत करने होंगे।

15.3.2 बैंकों / वित्तीय संस्थानों से उधार

- जिन कंपनियों को नकारात्मक धारणाधिकार आधार पर पुनर्वित्त प्रदान किया गया है, उन्हें बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिये रा.आ.बैंक से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि, प्रारूप **एनएचबी-एचएफसी-07** में **नकारात्मक धारणाधिकार प्रसंविदा की वार्षिक पुष्टि** वर्ष समाप्त होने पर 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, ऋणों के बारे में वार्षिक सूचना प्रारूप **एनएचबी-एचएफसी-06** में प्रतिवर्ष **31 मार्च** को प्रस्तुत करनी होगी।
- जिन कंपनियों जिनका पुनर्वित्त ऋण बहियों पर अनन्य प्रभार द्वारा प्रतिभूतिकृत है, उन्हें बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिये रा.आ.बैंक से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि, ऋणों के संबंध में छमाही सूचना प्रारूप **एनएचबी-एचएफसी-06** में प्रतिवर्ष **31 मार्च और 30 सितम्बर** को प्रस्तुत करनी होगी।
- जिन कंपनियों जिनका पुनर्वित्त अन्य ऋणदाताओं के साथ समान रूप से सभी बही ऋणों पर प्रभार द्वारा प्रतिभूतिकृत है, उन्हें बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिये रा.आ.बैंक से एनओसी लेना होगा। इसके अतिरिक्त, ऋणों के संबंध में छमाही सूचना प्रारूप **एनएचबी-एचएफसी-06** में प्रतिवर्ष **31 मार्च और 30 सितम्बर** को प्रस्तुत करनी होगी।
- कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के पक्ष में करार करने / प्रभार करने पर रा.आ.बैंक से लिये पुनर्वित्त सहायता के लिये दी गई प्रतिभूति का उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी उन ऋणदाताओं को पुनर्वित्त के तहत रा.आ.बैंक को दी गई प्रतिभूति/ प्रभार के बारे में वर्तमान स्थिति अवश्य सूचित करेगी। यदि कंपनी द्वारा किसी ऋणदाता के पक्ष में आरओसी में सृजित या पंजीकृत किया जाता है, तो रा.आ.बैंक को ऋणों की छमाही विवरणी में उसके बारे में सूचित किया जाएगा।
- रा.आ.बैंक के पक्ष में समरूप से प्रभार करने वाला पत्र बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से लिया जाएगा और रा.आ.बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा, जहां कहीं अपेक्षित होगा। रा.आ.बैंक के साथ ऐसे करार करने के लिये, जिन्हें आवश्यक समझा गया, संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थान की सहमति भी लेनी होगी।

15.4 रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त के लिये पात्र ऋण (केवल आवास वित्त कंपनियों पर लागू)

योजना के तहत आने वाले सभी आवास ऋण हैं –

- आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010, आज तक यथा संशोधित के अनुसार मानक आस्तियां, और
- रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त का दावा करते समय और पुनर्वित्त की पूरी अवधि में भार-रहित

15.5 रा.आ.बैंक द्वारा पुनर्वित्त ऋणों की फ्लैगिंग (केवल आवास वित्त कंपनियों पर लागू)

15.5.1 आवास वित्त कंपनियों को उन सभी ऋणों की भलीभांति पहचान करनी होगी जिनके लिये राआ बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई और उन सभी ऋणों की एक सूची तैयार की जाए।

15.5.2 इन लेखाओं से संबंधित सभी सूचना अद्यतन रखी जाएगी।

15.5.3 व्यैक्तिक आवास ऋणों जिन्हें रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त में एक बार फ्लैग्ड कर दिया गया उन्हें रा.आ.बैंक की पूर्व संस्वीकृति के तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक वे एचएफसी की बहियों में दर्ज हैं और वे अलग से पहचान में आने चाहिए।

15.5.4 ऐसे बही ऋणों की एक सूची रा.आ.बैंक को प्रति वर्ष 31 मार्च और 30 सितम्बर को तथा मांग करने पर प्रस्तुत की जाए।

15.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वार्षिक लेखा-परीक्षक प्रमाण पत्रों को समाप्त करना

बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वार्षिक लेखा-परीक्षक प्रमाण पत्र लेने की जरूरत यह कहते हुए समाप्त कर दी है कि वे ऋण खाते जिनके लिये पुनर्वित्त लिया गया, बैंक के रिकार्ड से अलग से पहचान की जा सकती है। हालांकि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उन्हें अलग किये रहेंगे और रियायती योजनाओं के तहत पुनर्वित्त पोषित ऋणों को फ्लैग करेंगे। बैंक रियायती योजनाओं के मामले में संवितरण होने पर फ्लैग्ड ऋण सूची प्राप्त करते रहेंगे।

15.7 निरीक्षण

पीएलआई की लेखा बहियों, रजिस्टरों तथा अन्य सभी संबंधित रिकार्ड का निरीक्षण रा.आ.बैंक द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किया जा सकता है। इन ऋण निरीक्षणों के संबंध में व्यय पीएलआई की सभी श्रेणियों द्वारा, आरआरबी को छोड़कर, वहन किया जाएगा।

15.8 निरीक्षण/ लेखा परीक्षा अनुपालन

पीएलआई निरीक्षण / लेखा परीक्षा की सभी रिपोर्टों पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे और रा.आ.बैंक को उसकी सूचना देंगे। बैंक ऋण निरीक्षण प्रभारों की एचएफसी, एससीबी, एसएफबी और यूसीबी से वसूली करेगा। आरआरबी को बैंक ऋण निरीक्षण प्रभारों की वसूली से छूट प्राप्त है।

15.9 आवास ऋणों का मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई

पीएलआई के यहां आवास ऋणों के मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिये उचित प्रणाली और प्रक्रिया होनी चाहिए, तथा इस काम के लिये निपुण, योग्य स्टाफ तथा उन्हें प्रशिक्षित करने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

15.10 रा.आ.बैंक के दिशा निर्देश

पात्र ऋणदाता संस्थान द्वारा आवास हेतु दिया गया वित्त तथा जो योजना के अन्तर्गत आता है, वह रा.आ.बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

15.11 संवितरण उपरांत अनुशासन

आवास ऋणों के संवितरण के बाद उचित पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि निधियों का सही अंतिम उपयोग किया गया तथा ऋणों का समय पर और नियमित चुकौती भी हो।

15.12 वसूली निष्पादकता का अनुरक्षण

रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त सुविधा जारी रहने के लिये पात्र पीएलआई द्वारा विभिन्न श्रेणियों के तहत लाभार्थियों यथा व्यक्तियों, बिल्डरों, सीएफआई आदि, से संतोषजनक वसूली हो और रा.आ.बैंक द्वारा समय-समय पर उल्लिखित शर्तों का अनुपालन हो।

15.13 पुनर्वित्त सहायता रा.आ.बैंक के विवेकाधीन

पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना रा.आ.बैंक के विवेकाधीन होगा और अधिकार के तौर पर इसका दावा नहीं किया जा सकता है।

15.14 पुनर्वित्त वापसी की मांग

रा.आ.बैंक को तब पुनर्वित्त वापस मांगने का अधिकार होगा यदि निधियों का प्रयोग आवास के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में किया जाता है या पात्र ऋणी संस्थान द्वारा कोई तथ्यात्मक सूचना छुपाई जाती है या कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे दी गई वित्तीय सहायता के चुकौती को खतरा हो।

15.15 रा.आ.बैंक को योजना संशोधित करने का अधिकार

रा.आ.बैंक को स्व विवेक के आधार पर, किसी पुनर्वित्त सुविधा को या तो सभी पात्र ऋणदाता संस्थानों या किसी एक या ग्रुप के पात्र ऋणदाता संस्थानों के लिये, बदलने / संशोधन करने का अधिकार होगा जो उसकी प्रक्रिया, नियम एवं शर्तों, पात्रता मानदंड तथा किसी ऐसे ही संबंधित विषय के बारे में हो सकती है।

*****

भाग –ख

आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) हेतु विभिन्न योजनाओं की विशिष्ट नियम एवं शर्तें/ अपेक्षाएं

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक में वर्तमान में आवास वित्त कंपनियों के लिए निम्नलिखित पुनर्वित्त योजना प्रचालन में हैं-

क्र सं.	योजनाएं		
	योजना का पूरा नाम	**संक्षिप्त नाम**	
1.	नियमित पुनर्वित्त योजना	आर आर एस	विवरण पृष्ठ सं. 20 में दिया गया है
2.	किफायती आवास निधि	ए एच एफ	विवरण पृष्ठ सं. 21-22 में दिया गया है
3.	केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता	-	विवरण पृष्ठ सं. 23 में दिया गया है
4.	निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना	डब्ल्यू-एल आई एच	विवरण पृष्ठ सं. 24-26 में दिया गया है

आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) हेतु प्रारूप अनुबंध I में दिए गए हैं।

नियमित पुनर्वित्त योजना

1. **उद्देश्य** – आवास वित्त कंपनियों द्वारा निम्नलिखित के लिये प्रदत्त आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना:
   - आवासीय इकाईयों का निर्माण/ क्रय
   - आवासीय इकाईयों की मरम्मत/ नवीकरण/ उन्नयन

2. **पात्र ऋण -**
   - **अधिकतम ऋण राशि**– कोई सीमा नहीं
   - **संपत्ति का स्थान** – कोई भी
   - **अंतिम उधारकर्ता** – कोई भी

3. **पुनर्वित्त की अवधि** – 1 वर्ष से 15 वर्ष

4. **ब्याज दर का प्रकार**
   - अस्थिर दर, अथवा
   - पुनर्निर्धारण सहित स्थिर दर

ब्याज दर का निर्धारण बाजार की स्थिति के आधार पर संवितरण के समय किया जाएगा।

5. **ब्याज दर में छूट**

निम्नलिखित ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त हेतु ब्याज दर में छूट उपलब्ध होगी:
   - ₹10 लाख तक का ऋण
   - ग्रामीण इलाकों में ऋण *(वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)*
   - महिलाओं के लिए ऋण (जहां महिला वित्तीय संपत्ति की स्वामिनी/ सह-स्वामिनी हो)
   - अन्य लिंग (थर्ड जेंडर) के वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - विकलांग या नि:शक्त जन हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - ग्रीन हाउस (हरित आवास) हेतु ऋण (इस ऋण पर ब्याज छूट घरेलू सौर संयंत्र, जल संरक्षण या रा.आ. बैंक-केएफडब्लू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास हेतु प्राप्त होगी)

6. **ब्याज प्रभारण की सीमा**

आवास वित्त कंपनियों की इस योजना के तहत ब्याज पर कोई सीमा नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

किफायती आवास निधि

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

- **उद्देश्य:**

किफायती आवास निधि प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी श्रेणी में दिनांक 01-04-2017 को या उसके बाद स्वीकृत एवं संवितरित वैयक्तिक आवास ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

- **किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना हेतु पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानें**
  - आवास वित्त कंपनियां (एसएफसी)
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)
  - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
  - अनुसूचित सहकारी बैंक (एससीओबी)
  - स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी)
  - शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाइटी (एसीएचएफएस)
  - कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी)

- **कवर क्षेत्र**
  - **शहरी-** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र;
  - **ग्रामीण-** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य कोई क्षेत्र।

- **पात्र वैयक्तिक आवास ऋण**
  - शहरी- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रू. से अधिक न हो।
  - ग्रामीण-
    - भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक क्षेत्र दिशा-निर्देश (समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग;
    - ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रू. से अधिक न हो; और
    - महिलाएं
- **ऋण अवधि-** अधिकतम- 7 वर्ष

- **ब्याज प्रभारण सीमा:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु ब्याज प्रभारण सीमा एमसीएलआर प्लस 100 बीपीएस है और अन्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक दर प्लस 350 बीपीएस। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को दी जा रही पुनर्वित्त वर्तमान में 4.93% प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर होगी।

- ब्याज का भुगतान- मासिक आधार पर संयोजित और तिमाही आधार पर भुगतान
- मूलधन की चुकौती - तिमाही

- **अन्य:**

किफायती आवास निधि के अंतर्गत किया गया कोई भी संवितरण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अनुमोदित स्वीकृति सीमा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लागू अन्य नियम एवं शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा। प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को श्रेणी-वार वैयक्तिक आवास ऋण खातों की सूची साफ्ट प्रारूप सहित मुद्रित रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता

केरल राज्य में मानसून की भारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अपने मकानों के टूट जाने के कारण बेघर/विस्थापित हो गए हैं। इन परिवारों को केरल में अपने घरों के निर्माण/मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु कम लागत पर दीर्घावधि वित्तीय सहायता की जरूरत है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने करल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रूपए तक और शहरी क्षेत्रों में 6 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) के माध्यम से घरों के निर्माण/मरम्मत और नवीनीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर 200 करोड़ रूपए के पुनर्वित्त सहायता की घोषणा की है।

वैयक्तिक आवास ऋण, जो दिनांक 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद और दिनांक 30 जून, 2019 तक केरल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई द्वारा संवितरित किए गए हैं, इस हायता के तहत कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता नीचे दी गई तालिका के अनुसार 7 वर्ष के नियत तथा वर्तमान में 4ण्93% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर उपलब्ध होगी तथा यह अंतिम लाभार्थियों से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर की सीमा के साथ होगी:

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान	**ब्याज प्रभारण सीमा**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	एमसीएलआर +1.00%
अन्य	8.43%

यह सहायता माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के तहत रा.आ.बैंक में स्थापित किफायती आवास निधि में से प्रदान की जाएगी।

- ब्याज दर का भुगतान - मासिक आधार पर संयोजित की जाएगी और तिमाही आधार पर भुगतान करना होगा।
- मूलधन की चुकौती – तिमाही

निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना

इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वाले परिवारों की शहरी आवास की आवश्यकताओं का पूरा करना है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे परिवारों के आवास ऋणों के संबंध में रा.आ. बैंक द्वारा पुनर्वित्त उन आवास वित्त कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा जो या तो वित्त पोषित संपत्ति के संपार्श्विक के माध्यम से प्रतिभूत हैं अथवा वैकल्पिक रूप से प्रतिभूत हैं।

- **योजना की प्रमुख विशेषताएं**

  - रियायती ब्याज दर
  - अनौपचारिक आय पर निर्भर निम्न आय वाले परिवारों हेतु उपलब्ध
  - शहरी क्षेत्रों में आवास हेतु
  - ऋण या तो वित्त पोषित संपत्ति के संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत या वैकल्पिक रूप से प्रतिभूत
  - ऋण सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी समुचित सावधानी की अपेक्षाओं के अनुरूप

- **योजना का विवरण**

- **उद्देश्य**

योजना के तहत पुनर्वित्त सहायता शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवारों के आवास ऋणों के संबंध में उन आवास वित्त कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए या तो सीधे अथवा सूक्ष्म वित्त संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों (जिनके पास संबंधित आवास वित्त कंपनियों की संतुष्टि अनुसार ऐसे ऋणों का प्रबंधन करने में प्रशिक्षित कर्मचारीगण सहित आवास ऋणों के मूल्यांकन व अनुवर्ती कार्रवाई हेतु यथोचित प्रणाली व प्रक्रिया हो) जैसे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से निम्न आय वाले परिवारों को प्रदान की गयी है:

  - नई आवासीय इकाईयों का निर्माण/खरीद
  - मौजूदा आवासीय इकाईयों की खरीद
  - मौजूदा आवासीय इकाईयों की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन

- **पात्रता मानदंड**

इस योजना के तहत विभिन्न वर्ग के संस्थानों के लिए रा.आ. बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड लागू रहेंगे।

- **पात्र ऋण**

वैयक्तिकों को सीधे या सूक्ष्म वित्त संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों जैसे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए गये एवं निम्नलिखित सभी मानदंडों का पूरा करने वाले आवास ऋण इस योजना के तहत पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगे:

मानदंड	वैयक्तिक ऋण के संवितरण की तिथि	
	25-02-2013 से 22-03-2015 तक	23-03-2015 के बाद
परिवार की वार्षिक आय	₹2 लाख से अधिक नहीं	▪ आवासीय इकाई के क्रय अथवा निर्माण हेतु ऋण के मामले में ₹3 लाख से अधिक नहीं। ▪ मौजूदा आवासीय इकाईयों की मरम्मत/ नवीकरण/ विस्तारण/ उन्नयन हेतु ऋण के मामले में ₹ 2 लाख से अधिक नहीं।
अधिकतम ऋण आकार	₹5 लाख से अधिक नहीं	आवास वित्त कंपनी द्वारा अपनी ऋण नीति के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
लाभार्थी के आय का प्रकार	अनौपचारिक आय	अनौपचारिक आय
मूल्य अनुपात की तुलना में अधिकतम ऋण (एलटीवी)	80%	80%

इस योजना के अंतर्गत कवर सभी ऋण शहरी क्षेत्रों में अवस्थित आवासीय इकाईयों (*वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार*) के संबंध में प्रदान किए जाने चाहिए।

- **पुनर्वित्त की सीमा**

रा.आ. बैंक से पुनर्वित्त, योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता उद्देश्य हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा संस्वीकृत व संवितरित आवास ऋणों की 100 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहेगा।

- **पुनर्वित्त की अवधि एवं चुकौती**

- **पुनर्वित्त की अवधि**
  - न्यूनतम अवधि – 5 वर्ष
  - अधिकतम अवधि – 15 वर्ष

- **पुनर्वित्त की चुकौती**

  - मूलधन राशि बराबर तिमाही किस्तों में प्रतिदेय
  - मूलधन की चुकौती प्रारंभ करने के लिए संवितरण की तिथि से 1 पूर्ण कैलेंडर तिमाही का अधिस्थगन

- **ब्याज दर**

योजना के तहत ब्याज दर रा.आ. बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी।

- **लाभार्थी**

  - **आय**

व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय अनुच्छेद 3 के अनुसार हो:

इस योजना के उद्देश्य हेतु पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी सह-उधारकर्ताओं की आय मिलाकर हुई आय से है। आवास वित्त कंपनियों द्वारा आय का आकलन/सत्यापन अपनी संतुष्टि एवं उनके आआईआर, एलटीवी इत्यादि जैसे मानदंडों में शामिल ऋण नोट/ ऋण फाइलों में अभिलिखित द्वारा, उधारकर्ताओं की पात्रता एवं सामर्थ्य के आकलन को देखते हुए किया जाएगा।

  - **अनौपचारिक आय**

योजना के तहत लाभार्थी अनौपचारिक स्रोतों से अपनी आय प्राप्त करने वाले हों।

इस योजना के तहत आवास ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ 'अनौपचारिक आय' का संबंध निम्न आय आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय से है एवं जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा करती हो।

(क) किसी निम्न आय के कारोबार, पेशे अथवा व्यवसाय में स्व–रोजगार से प्राप्त आय;

(ख) यदाकदा, अस्थायी, अनियमित अथवा कई कामों से अर्जित आय; एवं/अथवा

(ग) असंगठित क्षेत्र में रोजगार से प्राप्त आय।

- **पूर्वभुगतान**

इस योजना के तहत पूर्वभुगतान की अनुमति केवल अंतिम लाभार्थी द्वारा आवास वित्त कंपनियों को पूर्वदत्त ऋण राशि की सीमा तक होगी।

- **प्रतिभूति**

  - **वैयक्तिक उधारकर्ताओं से प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति** – वैयक्तिक आवास ऋण या तो भूमि/ संपत्ति के बंधक योग्य स्वत्वाधिकार द्वारा प्रतिभूत हो अथवा आवास वित्त कंपनी की पूर्ण संतुष्टि पर वैकल्पिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो।

    प्राथमिक ऋण का ऋण जोखिम पूर्णतया: आवास वित्त कंपनी द्वारा लिया जाएगा एवं रा.आ. बैंक से अपेक्षित पुनर्वित्त प्रतिदेय होगा, भले ही प्राथमिक ऋण खाता नियमित या भिन्न प्रकार का हो।

    इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहां आवास वित्त कंपनी योजना के तहत ऋण हेतु वैकल्पिक प्रतिभूति स्वीकार करते हैं यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उधारकर्ता कानूनी चुनौतियों एवं उधारकर्ता की बेदखली से खोने वाले ऋण से बचने के उद्देश्य से कार्यकाल की न्यूनतम अवधि का फायदा उठाता हो।

  - **पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूति** – पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूति ढांचा वही होगा जो रा.आ. बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत संबंधित संस्थानों पर लागू है।

****

भाग –ग

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों (एसएफबी) हेतु विभिन्न योजनाओं की विशिष्ट नियम एवं शर्तें/ अपेक्षाएं

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक में वर्तमान में एससीबी एवं एसएफबी के लिए निम्नलिखित पुनर्वित्त योजना प्रचालन में हैं-

क्र सं.	योजनाएं		
	योजना का पूरा नाम	संक्षिप्त नाम	
1.	नियमित पुनर्वित्त योजना	आर आर एस	विवरण पृष्ठ सं. 29 में दिया गया है
2.	किफायती आवास निधि	ए एच एफ	विवरण पृष्ठ सं. 30-31 में दिया गया है
3.	केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता	-	विवरण पृष्ठ सं. 32 में दिया गया है
4.	निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना	डब्ल्यू-एल आई एच	विवरण पृष्ठ सं. 33-35 में दिया गया है

एससीबी एवं एसएफबी हेतु प्रारूप अनुबंध II में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

नियमित पुनर्वित्त योजना

1. **उद्देश्य** – एससीबी एवं एसएफबी द्वारा निम्नलिखित के लिये प्रदत्त आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना:
    - आवासीय इकाईयों का निर्माण/ क्रय
    - आवासीय इकाईयों की मरम्मत/ नवीकरण/ उन्नयन

2. **पात्र ऋण -**
    - **अधिकतम ऋण राशि**– कोई सीमा नहीं
    - **संपत्ति का स्थान** – कोई भी
    - **अंतिम उधारकर्ता** – कोई भी

3. **पुनर्वित्त की अवधि** – 1 वर्ष से 15 वर्ष

4. **ब्याज दर का प्रकार**
    - अस्थिर दर, अथवा
    - पुनर्निर्धारण सहित स्थिर दर

ब्याज दर का निर्धारण बाजार की स्थिति के आधार पर संवितरण के समय किया जाएगा।

5. **ब्याज दर में छूट**

निम्नलिखित ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त हेतु ब्याज दर में छूट उपलब्ध होगी:

- ₹10 लाख तक का ऋण
- ग्रामीण इलाकों में ऋण *(वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)*
- महिलाओं के लिए ऋण (जहां महिला वित्तीय संपत्ति की स्वामिनी/ सह-स्वामिनी हो)
- अन्य लिंग (थर्ड जेंडर) के वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
- विकलांग या नि:शक्त जन हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
- ग्रीन हाउस (हरित आवास) हेतु ऋण (इस ऋण पर ब्याज छूट घरेलू सौर संयंत्र, जल संरक्षण या रा.आ. बैंक-केएफडब्लू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास हेतु प्राप्त होगी)

6. **ब्याज प्रभारण की सीमा**

एससीबी एवं एसएफबी की इस योजना के तहत ब्याज पर कोई सीमा नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

किफायती आवास निधि

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

- **उद्देश्य:**

किफायती आवास निधि प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी श्रेणी में दिनांक 01-04-2017 को या उसके बाद स्वीकृत एवं संवितरित वैयक्तिक आवास ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

- **किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना हेतु पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानें**
  - आवास वित्त कंपनियां (एसएफसी)
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)
  - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
  - अनुसूचित सहकारी बैंक (एससीओबी)
  - स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी)
  - शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाइटी (एसीएचएफएस)
  - कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी)

- **कवर क्षेत्र**
  - **शहरी-** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र;
  - **ग्रामीण-** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य कोई क्षेत्र।

- **पात्र वैयक्तिक आवास ऋण**
  - शहरी- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रू. से अधिक न हो।
  - ग्रामीण-
    - भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक क्षेत्र दिशा-निर्देश (समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग;
    - ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रू. से अधिक न हो; और
    - महिलाएं
- **ऋण अवधि-** अधिकतम- 7 वर्ष

- **ब्याज प्रभारण सीमा:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु ब्याज प्रभारण सीमा एमसीएलआर प्लस 100 बीपीएस है और अन्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक दर प्लस 350 बीपीएस। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को दी जा रही पुनर्वित्त वर्तमान में 4.93% प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर होगी।

- ब्याज का भुगतान- मासिक आधार पर संयोजित और तिमाही आधार पर भुगतान
- मूलधन की चुकौती - तिमाही

- **अन्य:**

किफायती आवास निधि के अंतर्गत किया गया कोई भी संवितरण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अनुमोदित स्वीकृति सीमा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लागू अन्य नियम एवं शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा। प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को श्रेणी-वार वैयक्तिक आवास ऋण खातों की सूची साफ्ट प्रारूप सहित मुद्रित रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता

केरल राज्य में मानसून की भारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अपने मकानों के टूट जाने के कारण बेघर/विस्थापित हो गए हैं। इन परिवारों को केरल में अपने घरों के निर्माण/मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु कम लागत पर दीर्घावधि वित्तीय सहायता की जरूरत है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने करल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रूपए तक और शहरी क्षेत्रों में 6 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) के माध्यम से घरों के निर्माण/मरम्मत और नवीनीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर 200 करोड़ रूपए के पुनर्वित्त सहायता की घोषणा की है।

वैयक्तिक आवास ऋण, जो दिनांक 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद और दिनांक 30 जून, 2019 तक केरल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई द्वारा संवितरित किए गए हैं, इस हायता के तहत कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता नीचे दी गई तालिका के अनुसार 7 वर्ष के नियत तथा वर्तमान में 4ण्93% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर उपलब्ध होगी तथा यह अंतिम लाभार्थियों से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर की सीमा के साथ होगी:

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान	**ब्याज प्रभारण सीमा**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	एमसीएलआर +1.00%
अन्य	8.43%

यह सहायता माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के तहत रा.आ.बैंक में स्थापित किफायती आवास निधि में से प्रदान की जाएगी।

- ब्याज दर का भुगतान - मासिक आधार पर संयोजित की जाएगी और तिमाही आधार पर भुगतान करना होगा।
- मूलधन की चुकौती – तिमाही

निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना

इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वाले परिवारों की शहरी आवास की आवश्यकताओं का पूरा करना है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे परिवारों के आवास ऋणों के संबंध में रा.आ. बैंक द्वारा पुनर्वित्त उन एससीबी एवं एसएफबी को उपलब्ध कराया जाएगा जो या तो वित्त पोषित संपत्ति के संपार्श्विक के माध्यम से प्रतिभूत हैं अथवा वैकल्पिक रूप से प्रतिभूत हैं।

- **योजना की प्रमुख विशेषताएं**

  - रियायती ब्याज दर
  - अनौपचारिक आय पर निर्भर निम्न आय वाले परिवारों हेतु उपलब्ध
  - शहरी क्षेत्रों में आवास हेतु
  - ऋण या तो वित्त पोषित संपत्ति के संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत या वैकल्पिक रूप से प्रतिभूत
  - ऋण सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी समुचित सावधानी की अपेक्षाओं के अनुरूप

- **योजना का विवरण**

- **उद्देश्य**

योजना के तहत पुनर्वित्त सहायता शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवारों के आवास ऋणों के संबंध में उन एससीबी एवं एसएफबी को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए या तो सीधे अथवा सूक्ष्म वित्त संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों (जिनके पास संबंधित आवास वित्त कंपनियों की संतुष्टि अनुसार ऐसे ऋणों का प्रबंधन करने में प्रशिक्षित कर्मचारीगण सहित आवास ऋणों के मूल्यांकन व अनुवर्ती कार्रवाई हेतु यथोचित प्रणाली व प्रक्रिया हो) जैसे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से निम्न आय वाले परिवारों को प्रदान की गयी है:

  - नई आवासीय इकाईयों का निर्माण/खरीद
  - मौजूदा आवासीय इकाईयों की खरीद
  - मौजूदा आवासीय इकाईयों की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन

- **पात्रता मानदंड**

इस योजना के तहत विभिन्न वर्ग के संस्थानों के लिए रा.आ. बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड लागू रहेंगे।

- **पात्र ऋण**

वैयक्तिकों को सीधे या सूक्ष्म वित्त संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों जैसे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए गये एवं निम्नलिखित सभी मानदंडों का पूरा करने वाले आवास ऋण इस योजना के तहत पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगे:

मानदंड	वैयक्तिक ऋण के संवितरण की तिथि	
	25-02-2013 से 22-03-2015 तक	23-03-2015 के बाद
परिवार की वार्षिक आय	₹2 लाख से अधिक नहीं	▪ आवासीय इकाई के क्रय अथवा निर्माण हेतु ऋण के मामले में ₹3 लाख से अधिक नहीं। ▪ मौजूदा आवासीय इकाईयों की मरम्मत/ नवीकरण/ विस्तारण/ उन्नयन हेतु ऋण के मामले में ₹ 2 लाख से अधिक नहीं।
अधिकतम ऋण आकार	₹5 लाख से अधिक नहीं	एससीबी एवं एसएफबी द्वारा अपनी ऋण नीति के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
लाभार्थी के आय का प्रकार	अनौपचारिक आय	अनौपचारिक आय
मूल्य अनुपात की तुलना में अधिकतम ऋण (एलटीवी)	80%	80%

इस योजना के अंतर्गत कवर सभी ऋण शहरी क्षेत्रों में अवस्थित आवासीय इकाईयों (*वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार*) के संबंध में प्रदान किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

- **पुनर्वित्त की सीमा**

रा.आ. बैंक से पुनर्वित्त, योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता उद्देश्य हेतु एससीबी एवं एसएफबी द्वारा संस्वीकृत व संवितरित आवास ऋणों की 100 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहेगा।

- **पुनर्वित्त की अवधि एवं चुकौती**

- **पुनर्वित्त की अवधि**

▪ न्यूनतम अवधि – 5 वर्ष
▪ अधिकतम अवधि – 15 वर्ष

- **पुनर्वित्त की चुकौती**

  - मूलधन राशि बराबर तिमाही किस्तों में प्रतिदेय
  - मूलधन की चुकौती प्रारंभ करने के लिए संवितरण की तिथि से 1 पूर्ण कैलेंडर तिमाही का अधिस्थगन

- **ब्याज दर**

योजना के तहत ब्याज दर रा.आ. बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी।

- **लाभार्थी**

  - **आय**

व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय अनुच्छेद 3 के अनुसार हो:

इस योजना के उद्देश्य हेतु पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी सह-उधारकर्ताओं की आय मिलाकर हुई आय से है। एससीबी एवं एसएफबी द्वारा आय का आकलन/सत्यापन अपनी संतुष्टि एवं उनके आआईआर, एलटीवी इत्यादि जैसे मानदंडों में शामिल ऋण नोट/ ऋण फाइलों में अभिलिखित द्वारा, उधारकर्ताओं की पात्रता एवं सामर्थ्य के आकलन को देखते हुए किया जाएगा।

  - **अनौपचारिक आय**

योजना के तहत लाभार्थी अनौपचारिक स्रोतों से अपनी आय प्राप्त करने वाले हों।

इस योजना के तहत आवास ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ 'अनौपचारिक आय' का संबंध निम्न आय आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय से है एवं जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा करती हो।

(घ)किसी निम्न आय के कारोबार, पेशे अथवा व्यवसाय में स्व–रोजगार से प्राप्त आय;

(ङ)यदाकदा, अस्थायी, अनियमित अथवा कई कामों से अर्जित आय; एवं/अथवा

(च) असंगठित क्षेत्र में रोजगार से प्राप्त आय।

- **पूर्वभुगतान**

इस योजना के तहत पूर्वभुगतान की अनुमति केवल अंतिम लाभार्थी द्वारा एससीबी एवं एसएफबी को पूर्वदत्त ऋण राशि की सीमा तक होगी।

- **प्रतिभूति**

  - **वैयक्तिक उधारकर्ताओं से प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति** – वैयक्तिक आवास ऋण या तो भूमि/ संपत्ति के बंधक योग्य स्वत्वाधिकार द्वारा प्रतिभूत हो अथवा एससीबी एवं एसएफबी की पूर्ण संतुष्टि पर वैकल्पिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो।

    प्राथमिक ऋण का ऋण जोखिम पूर्णतया: एससीबी एवं एसएफबी द्वारा लिया जाएगा एवं रा.आ. बैंक से अपेक्षित पुनर्वित्त प्रतिदेय होगा, भले ही प्राथमिक ऋण खाता नियमित या भिन्न प्रकार का हो।

    इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहां एससीबी एवं एसएफबी योजना के तहत ऋण हेतु वैकल्पिक प्रतिभूति स्वीकार करते हैं यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उधारकर्ता कानूनी चुनौतियों एवं उधारकर्ता की बेदखली से खोने वाले ऋण से बचने के उद्देश्य से कार्यकाल की न्यूनतम अवधि का फायदा उठाता हो।

  - **पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूति** – पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूति ढांचा वही होगा जो रा.आ. बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत संबंधित संस्थानों पर लागू है।

****

भाग –घ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) हेतु विभिन्न योजनाओं की विशिष्ट नियम एवं शर्तें/ अपेक्षाएं

राष्ट्रीय आवास बैंक में वर्तमान में आरआरबी के लिए निम्नलिखित पुनर्वित्त योजना प्रचालन में हैं-

क्र सं.	योजनाएं		
	योजना का पूरा नाम	**संक्षिप्त नाम**	
1.	नियमित पुनर्वित्त योजना	आर आर एस	विवरण पृष्ठ सं. 38 में दिया गया है
2.	किफायती आवास निधि	ए एच एफ	विवरण पृष्ठ सं. 39-40 में दिया गया है
3.	केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता	-	विवरण पृष्ठ सं. 41 में दिया गया है
4.	निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना	डब्ल्यू-एल आई एच	विवरण पृष्ठ सं. 42-44 में दिया गया है

आरआरबी हेतु प्रारूप अनुबंध III में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

नियमित पुनर्वित्त योजना

1. **उद्देश्य** – आरआरबी द्वारा निम्नलिखित के लिये प्रदत्त आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना:
   - आवासीय इकाईयों का निर्माण/ क्रय
   - आवासीय इकाईयों की मरम्मत/ नवीकरण/ उन्नयन

2. **पात्र ऋण -**
   - **अधिकतम ऋण राशि**– 20 लाख रू.
   - **संपत्ति का स्थान** – कोई भी
   - **अंतिम उधारकर्ता** – कोई भी

3. **पुनर्वित्त की अवधि** – 1 वर्ष से 15 वर्ष

4. **ब्याज दर का प्रकार**
   - अस्थिर दर, अथवा
   - पुनर्निर्धारण सहित स्थिर दर

ब्याज दर का निर्धारण बाजार की स्थिति के आधार पर संवितरण के समय किया जाएगा।

5. **ब्याज दर में छूट**

निम्नलिखित ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त हेतु ब्याज दर में छूट उपलब्ध होगी:
   - ₹10 लाख तक का ऋण
   - ग्रामीण इलाकों में ऋण *(वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)*
   - महिलाओं के लिए ऋण (जहां महिला वित्तीय संपत्ति की स्वामिनी/ सह-स्वामिनी हो)
   - अन्य लिंग (थर्ड जेंडर) के वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - विकलांग या नि:शक्त जन हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - ग्रीन हाउस (हरित आवास) हेतु ऋण (इस ऋण पर ब्याज छूट घरेलू सौर संयंत्र, जल संरक्षण या रा.आ. बैंक-केएफडब्लू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास हेतु प्राप्त होगी)

6. **ब्याज प्रभारण की सीमा**

आरआरबी की इस योजना के तहत ब्याज पर कोई सीमा नहीं है।

किफायती आवास निधि

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

- **उद्देश्य:**

किफायती आवास निधि प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी श्रेणी में दिनांक 01-04-2017 को या उसके बाद स्वीकृत एवं संवितरित वैयक्तिक आवास ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

- **किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना हेतु पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानें**
  - आवास वित्त कंपनियां (एसएफसी)
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)
  - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
  - अनुसूचित सहकारी बैंक (एससीओबी)
  - स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी)
  - शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाइटी (एसीएचएफएस)
  - कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी)

- **कवर क्षेत्र**
  - **शहरी-** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र;
  - **ग्रामीण-** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य कोई क्षेत्र।

- **पात्र वैयक्तिक आवास ऋण**
  - शहरी- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रू. से अधिक न हो।
  - ग्रामीण-
    - भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक क्षेत्र दिशा-निर्देश (समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग;
    - ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रू. से अधिक न हो; और
    - महिलाएं
- **ऋण अवधि-** अधिकतम- 7 वर्ष

- **ब्याज प्रभारण सीमा:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु ब्याज प्रभारण सीमा एमसीएलआर प्लस 100 बीपीएस है और अन्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक दर प्लस 350 बीपीएस। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को दी जा रही पुनर्वित्त वर्तमान में 4.93% प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर होगी।

- ब्याज का भुगतान- मासिक आधार पर संयोजित और तिमाही आधार पर भुगतान
- मूलधन की चुकौती - तिमाही

- **अन्य:**

किफायती आवास निधि के अंतर्गत किया गया कोई भी संवितरण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अनुमोदित स्वीकृति सीमा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लागू अन्य नियम एवं शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा। प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को श्रेणी-वार वैयक्तिक आवास ऋण खातों की सूची साफ्ट प्रारूप सहित मुद्रित रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता

केरल राज्य में मानसून की भारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अपने मकानों के टूट जाने के कारण बेघर/विस्थापित हो गए हैं। इन परिवारों को केरल में अपने घरों के निर्माण/मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु कम लागत पर दीर्घावधि वित्तीय सहायता की जरूरत है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने करल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रूपए तक और शहरी क्षेत्रों में 6 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) के माध्यम से घरों के निर्माण/मरम्मत और नवीनीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर 200 करोड़ रूपए के पुनर्वित्त सहायता की घोषणा की है।

वैयक्तिक आवास ऋण, जो दिनांक 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद और दिनांक 30 जून, 2019 तक केरल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई द्वारा संवितरित किए गए हैं, इस हायता के तहत कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता नीचे दी गई तालिका के अनुसार 7 वर्ष के नियत तथा वर्तमान में 4ण्93% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर उपलब्ध होगी तथा यह अंतिम लाभार्थियों से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर की सीमा के साथ होगी:

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान	**ब्याज प्रभारण सीमा**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	एमसीएलआर +1.00%
अन्य	8.43%

यह सहायता माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के तहत रा.आ.बैंक में स्थापित किफायती आवास निधि में से प्रदान की जाएगी।

- ब्याज दर का भुगतान - मासिक आधार पर संयोजित की जाएगी और तिमाही आधार पर भुगतान करना होगा।
- मूलधन की चुकौती – तिमाही

निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना

I. प्रस्तावना

इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वाले परिवारों की शहरी आवास की आवश्यकताओं का पूरा करना है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे परिवारों के आवास ऋणों के संबंध में रा.आ. बैंक द्वारा पुनर्वित्त उन आरआरबी को उपलब्ध कराया जाएगा जो या तो वित्त पोषित संपत्ति के संपार्श्विक के माध्यम से प्रतिभूत हैं अथवा वैकल्पिक रूप से प्रतिभूत हैं।

II. योजना की प्रमुख विशेषताएं

- रियायती ब्याज दर
- अनौपचारिक आय पर निर्भर निम्न आय वाले परिवारों हेतु उपलब्ध
- शहरी क्षेत्रों में आवास हेतु
- ऋण या तो वित्त पोषित संपत्ति के संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत या वैकल्पिक रूप से प्रतिभूत
- ऋण सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी समुचित सावधानी की अपेक्षाओं के अनुरूप

III. योजना का विवरण

1. उद्देश्य

योजना के तहत पुनर्वित्त सहायता शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवारों के आवास ऋणों के संबंध में उन आरआरबी को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए या तो सीधे अथवा सूक्ष्म वित्त संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों (जिनके पास संबंधित आरआरबी की संतुष्टि अनुसार ऐसे ऋणों का प्रबंधन करने में प्रशिक्षित कर्मचारीगण सहित आवास ऋणों के मूल्यांकन व अनुवर्ती कार्रवाई हेतु यथोचित प्रणाली व प्रक्रिया हो) जैसे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से निम्न आय वाले परिवारों को प्रदान की गयी है:

- नई आवासीय इकाईयों का निर्माण/खरीद
- मौजूदा आवासीय इकाईयों की खरीद
- मौजूदा आवासीय इकाईयों की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन

2. पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत विभिन्न वर्ग के संस्थानों के लिए रा.आ. बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड लागू रहेंगे।

3. पात्र ऋण

वैयक्तिकों को सीधे या सूक्ष्म वित्त संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों जैसे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए गये एवं निम्नलिखित सभी मानदंडों का पूरा करने वाले आवास ऋण इस योजना के तहत पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगे:

मानदंड	वैयक्तिक ऋण के संवितरण की तिथि	
	25-02-2013 से 22-03-2015 तक	25-02-2013 से 22-03-2015 तक
परिवार की वार्षिक आय	₹2 लाख से अधिक नहीं	▪ आवासीय इकाई के क्रय अथवा निर्माण हेतु ऋण के मामले में ₹3 लाख से अधिक नहीं। ▪ मौजूदा आवासीय इकाईयों की मरम्मत/ नवीकरण/ विस्तारण/ उन्नयन हेतु ऋण के मामले में ₹ 2 लाख से अधिक नहीं।
अधिकतम ऋण आकार	₹5 लाख से अधिक नहीं	आरआरबी द्वारा अपनी ऋण नीति के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
लाभार्थी के आय का प्रकार	अनौपचारिक आय	अनौपचारिक आय
मूल्य अनुपात की तुलना में अधिकतम ऋण (एलटीवी)	80%	80%

इस योजना के अंतर्गत कवर सभी ऋण शहरी क्षेत्रों में अवस्थित आवासीय इकाईयों (*वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार*) के संबंध में प्रदान किए जाने चाहिए।

4. पुनर्वित्त की सीमा

रा.आ. बैंक से पुनर्वित्त, योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता उद्देश्य हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा संस्वीकृत व संवितरित आवास ऋणों की 100 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहेगा।

5. पुनर्वित्त की अवधि एवं चुकौती

♦ **पुनर्वित्त की अवधि**

▪ न्यूनतम अवधि – 5 वर्ष
▪ अधिकतम अवधि – 15 वर्ष

♦ **पुनर्वित्त की चुकौती**

- मूलधन राशि बराबर तिमाही किस्तों में प्रतिदेय
- मूलधन की चुकौती प्रारंभ करने के लिए संवितरण की तिथि से 1 पूर्ण कैलेंडर तिमाही का अधिस्थगन

6. ब्याज दर

योजना के तहत ब्याज दर रा.आ. बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी।

7. लाभार्थी

¤ आय

व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय अनुच्छेद 3 के अनुसार हो:

इस योजना के उद्देश्य हेतु पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी सह-उधारकर्ताओं की आय मिलाकर हुई आय से है। आरआरबी द्वारा आय का आकलन/सत्यापन अपनी संतुष्टि एवं उनके आआईआर, एलटीवी इत्यादि जैसे मानदंडों में शामिल ऋण नोट/ ऋण फाइलों में अभिलिखित द्वारा, उधारकर्ताओं की पात्रता एवं सामर्थ्य के आकलन को देखते हुए किया जाएगा।

¤ अनौपचारिक आय

योजना के तहत लाभार्थी अनौपचारिक स्रोतों से अपनी आय प्राप्त करने वाले हों।

इस योजना के तहत आवास ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ 'अनौपचारिक आय' का संबंध निम्न आय आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय से है एवं जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा करती हो।

- *किसी निम्न आय के कारोबार, पेशे अथवा व्यवसाय में स्व–रोजगार से प्राप्त आय;*
- *यदाकदा, अस्थायी, अनियमित अथवा कई कामों से अर्जित आय; एवं/अथवा*
- *असंगठित क्षेत्र में रोजगार से प्राप्त आय।*

8. पूर्वभुगतान

इस योजना के तहत पूर्वभुगतान की अनुमति केवल अंतिम लाभार्थी द्वारा आरआरबी को पूर्वदत्त ऋण राशि की सीमा तक होगी।

9. प्रतिभूति

- **वैयक्तिक उधारकर्ताओं से प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति** – वैयक्तिक आवास ऋण या तो भूमि/ संपत्ति के बंधक योग्य स्वत्वाधिकार द्वारा प्रतिभूत हो अथवा आरआरबी की पूर्ण संतुष्टि पर वैकल्पिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो।

  प्राथमिक ऋण का ऋण जोखिम पूर्णतया: आरआरबी द्वारा लिया जाएगा एवं रा.आ. बैंक से अपेक्षित पुनर्वित्त प्रतिदेय होगा, भले ही प्राथमिक ऋण खाता नियमित या भिन्न प्रकार का हो।

  इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहां आरआरबी योजना के तहत ऋण हेतु वैकल्पिक प्रतिभूति स्वीकार करते हैं यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उधारकर्ता कानूनी चुनौतियों एवं उधारकर्ता की बेदखली से खोने वाले ऋण से बचने के उद्देश्य से कार्यकाल की न्यूनतम अवधि का फायदा उठाता हो।

- **पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूति** – पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूति ढांचा वही होगा जो रा.आ. बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत संबंधित संस्थानों पर लागू है।

****

भाग –ड.

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) एवं राज्य सहकारी बैंकों (एससीओबी) हेतु विभिन्न योजनाओं की विशिष्ट नियम एवं शर्तें/ अपेक्षाएं

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक में वर्तमान में यूसीबी/एससीओबी के लिए निम्नलिखित पुनर्वित्त योजना प्रचालन में हैं-

क्र सं.	**योजनाएं**		
	योजना का पूरा नाम		
1.	नियमित पुनर्वित्त योजना	आर आर एस	विवरण पृष्ठ सं. 47 में दिया गया है
2.	किफायती आवास निधि	ए एच एफ	विवरण पृष्ठ सं. 48-49 में दिया गया है
3.	केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता	-	विवरण पृष्ठ सं. 50 में दिया गया है
4.	निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना	डब्ल्यू-एल आई एच	विवरण पृष्ठ सं. 51-53 में दिया गया है

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) एवं राज्य सहकारी बैंकों (एससीओबी) हेतु प्रारूप अनुबंध IV में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

नियमित पुनर्वित्त योजना

1. **उद्देश्य** – यूसीबी/एससीओबी द्वारा निम्नलिखित के लिये प्रदत्त आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना:
   - आवासीय इकाईयों का निर्माण/ क्रय
   - आवासीय इकाईयों की मरम्मत/ नवीकरण/ उन्नयन

2. **पात्र ऋण -**
   - **अधिकतम ऋण राशि**– यूसीबी हेतु 50 लाख रू. तक एवं एससीओबी हेतु 30 लाख रू. तक
   - **संपत्ति का स्थान** – कोई भी
   - **अंतिम उधारकर्ता** – कोई भी

3. **पुनर्वित्त की अवधि** – 1 वर्ष से 15 वर्ष

4. **ब्याज दर का प्रकार**
   - अस्थिर दर, अथवा
   - पुनर्निर्धारण सहित स्थिर दर

ब्याज दर का निर्धारण बाजार की स्थिति के आधार पर संवितरण के समय किया जाएगा।

5. **ब्याज दर में छूट**

निम्नलिखित ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त हेतु ब्याज दर में छूट उपलब्ध होगी:
   - ₹10 लाख तक का ऋण
   - ग्रामीण इलाकों में ऋण *(वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)*
   - महिलाओं के लिए ऋण (जहां महिला वित्तीय संपत्ति की स्वामिनी/ सह-स्वामिनी हो)
   - अन्य लिंग (थर्ड जेंडर) के वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - विकलांग या नि:शक्त जन हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी/ सह-स्वामी हो)
   - ग्रीन हाउस (हरित आवास) हेतु ऋण (इस ऋण पर ब्याज छूट घरेलू सौर संयंत्र, जल संरक्षण या रा.आ. बैंक-केएफडब्लू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास हेतु प्राप्त होगी)

6. **ब्याज प्रभारण की सीमा**

यूसीबी/एससीओबी की इस योजना के तहत ब्याज पर कोई सीमा नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

किफायती आवास निधि

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

- **उद्देश्य:**

किफायती आवास निधि प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी श्रेणी में दिनांक 01-04-2017 को या उसके बाद स्वीकृत एवं संवितरित वैयक्तिक आवास ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

- **किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना हेतु पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानें**
  - आवास वित्त कंपनियां (एसएफसी)
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)
  - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
  - अनुसूचित सहकारी बैंक (एससीओबी)
  - स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी)
  - शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाइटी (एसीएचएफएस)
  - कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी)

- **कवर क्षेत्र**
  - **शहरी-** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र;
  - **ग्रामीण-** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य कोई क्षेत्र।

- **पात्र वैयक्तिक आवास ऋण**
  - शहरी- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रू. से अधिक न हो।
  - ग्रामीण-
    - भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक क्षेत्र दिशा-निर्देश (समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग;
    - ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रू. से अधिक न हो; और
    - महिलाएं
- **ऋण अवधि-** अधिकतम- 7 वर्ष

- **ब्याज प्रभारण सीमा:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु ब्याज प्रभारण सीमा एमसीएलआर प्लस 100 बीपीएस है और अन्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक दर प्लस 350 बीपीएस। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को दी जा रही पुनर्वित्त वर्तमान में 4.93% प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर होगी।

- ब्याज का भुगतान- मासिक आधार पर संयोजित और तिमाही आधार पर भुगतान
- मूलधन की चुकौती - तिमाही

- **अन्य:**

किफायती आवास निधि के अंतर्गत किया गया कोई भी संवितरण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अनुमोदित स्वीकृति सीमा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लागू अन्य नियम एवं शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा। प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को श्रेणी-वार वैयक्तिक आवास ऋण खातों की सूची साफ्ट प्रारूप सहित मुद्रित रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता

केरल राज्य में मानसून की भारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अपने मकानों के टूट जाने के कारण बेघर/विस्थापित हो गए हैं। इन परिवारों को केरल में अपने घरों के निर्माण/मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु कम लागत पर दीर्घावधि वित्तीय सहायता की जरूरत है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने करल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रूपए तक और शहरी क्षेत्रों में 6 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) के माध्यम से घरों के निर्माण/मरम्मत और नवीनीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर 200 करोड् रूपए के पुनर्वित्त सहायता की घोषणा की है।

वैयक्तिक आवास ऋण, जो दिनांक 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद और दिनांक 30 जून, 2019 तक केरल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई द्वारा संवितरित किए गए हैं, इस हायता के तहत कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता नीचे दी गई तालिका के अनुसार 7 वर्ष के नियत तथा वर्तमान में 4ण्93% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर उपलब्ध होगी तथा यह अंतिम लाभार्थियों से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर की सीमा के साथ होगी:

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान	**ब्याज प्रभारण सीमा**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	एमसीएलआर +1.00%
अन्य	8.43%

यह सहायता माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के तहत रा.आ.बैंक में स्थापित किफायती आवास निधि में से प्रदान की जाएगी।

- ब्याज दर का भुगतान - मासिक आधार पर संयोजित की जाएगी और तिमाही आधार पर भुगतान करना होगा।
- मूलधन की चुकौती – तिमाही

निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना

I. प्रस्तावना

इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वाले परिवारों की शहरी आवास की आवश्यकताओं का पूरा करना है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे परिवारों के आवास ऋणों के संबंध में रा.आ. बैंक द्वारा पुनर्वित्त उन आरआरबी को उपलब्ध कराया जाएगा जो या तो वित्त पोषित संपत्ति के संपार्श्विक के माध्यम से प्रतिभूत हैं अथवा वैकल्पिक रूप से प्रतिभूत हैं।

II. योजना की प्रमुख विशेषताएं

- रियायती ब्याज दर
- अनौपचारिक आय पर निर्भर निम्न आय वाले परिवारों हेतु उपलब्ध
- शहरी क्षेत्रों में आवास हेतु
- ऋण या तो वित्त पोषित संपत्ति के संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत या वैकल्पिक रूप से प्रतिभूत
- ऋण सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी समुचित सावधानी की अपेक्षाओं के अनुरूप

III. योजना का विवरण

1. उद्देश्य

योजना के तहत पुनर्वित्त सहायता शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवारों के आवास ऋणों के संबंध में उन यूसीबी/एससीओबी को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए या तो सीधे अथवा सूक्ष्म वित्त संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों (जिनके पास संबंधित यूसीबी/एससीओबी की संतुष्टि अनुसार ऐसे ऋणों का प्रबंधन करने में प्रशिक्षित कर्मचारीगण सहित आवास ऋणों के मूल्यांकन व अनुवर्ती कार्रवाई हेतु यथोचित प्रणाली व प्रक्रिया हो) जैसे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से निम्न आय वाले परिवारों को प्रदान की गयी है:

- नई आवासीय इकाईयों का निर्माण/खरीद
- मौजूदा आवासीय इकाईयों की खरीद
- मौजूदा आवासीय इकाईयों की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन

2. पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत विभिन्न वर्ग के संस्थानों के लिए रा.आ. बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड लागू रहेंगे।

3. पात्र ऋण

वैयक्तिकों को सीधे या सूक्ष्म वित्त संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों जैसे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए गये एवं निम्नलिखित सभी मानदंडों का पूरा करने वाले आवास ऋण इस योजना के तहत पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगे:

मानदंड	वैयक्तिक ऋण के संवितरण की तिथि	
	25-02-2013 से 22-03-2015 तक	25-02-2013 से 22-03-2015 तक
परिवार की वार्षिक आय	₹2 लाख से अधिक नहीं	▪ आवासीय इकाई के क्रय अथवा निर्माण हेतु ऋण के मामले में ₹3 लाख से अधिक नहीं। ▪ मौजूदा आवासीय इकाईयों की मरम्मत/ नवीकरण/ विस्तारण/ उन्नयन हेतु ऋण के मामले में ₹ 2 लाख से अधिक नहीं।
अधिकतम ऋण आकार	₹5 लाख से अधिक नहीं	यूसीबी/एससीओबी द्वारा अपनी ऋण नीति के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
लाभार्थी के आय का प्रकार	अनौपचारिक आय	अनौपचारिक आय
मूल्य अनुपात की तुलना में अधिकतम ऋण (एलटीवी)	80%	80%

इस योजना के अंतर्गत कवर सभी ऋण शहरी क्षेत्रों में अवस्थित आवासीय इकाईयों (*वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार*) के संबंध में प्रदान किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

4. पुनर्वित्त की सीमा

रा.आ. बैंक से पुनर्वित्त, योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता उद्देश्य हेतु यूसीबी/एससीओबी द्वारा संस्वीकृत व संवितरित आवास ऋणों की 100 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहेगा।

5. पुनर्वित्त की अवधि एवं चुकौती

♦ पुनर्वित्त की अवधि

- न्यूनतम अवधि – 5 वर्ष
- अधिकतम अवधि – 15 वर्ष

♦ पुनर्वित्त की चुकौती

- मूलधन राशि बराबर तिमाही किस्तों में प्रतिदेय
- मूलधन की चुकौती प्रारंभ करने के लिए संवितरण की तिथि से 1 पूर्ण कैलेंडर तिमाही का अधिस्थगन

6. ब्याज दर

योजना के तहत ब्याज दर रा.आ. बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी।

7. लाभार्थी

¤ **आय**

व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय अनुच्छेद 3 के अनुसार हो:

इस योजना के उद्देश्य हेतु पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी सह-उधारकर्ताओं की आय मिलाकर हुई आय से है। यूसीबी/एससीओबी द्वारा आय का आकलन/सत्यापन अपनी संतुष्टि एवं उनके आआईआर, एलटीवी इत्यादि जैसे मानदंडों में शामिल ऋण नोट/ ऋण फाइलों में अभिलिखित द्वारा, उधारकर्ताओं की पात्रता एवं सामर्थ्य के आकलन को देखते हुए किया जाएगा।

¤ **अनौपचारिक आय**

योजना के तहत लाभार्थी अनौपचारिक स्रोतों से अपनी आय प्राप्त करने वाले हों।

इस योजना के तहत आवास ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ 'अनौपचारिक आय' का संबंध निम्न आय आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय से है एवं जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा करती हो।

- *किसी निम्न आय के कारोबार, पेशे अथवा व्यवसाय में स्व–रोजगार से प्राप्त आय;*
- *यदाकदा, अस्थायी, अनियमित अथवा कई कामों से अर्जित आय; एवं/अथवा*
- *असंगठित क्षेत्र में रोजगार से प्राप्त आय।*

8. पूर्वभुगतान

इस योजना के तहत पूर्वभुगतान की अनुमति केवल अंतिम लाभार्थी द्वारा यूसीबी/एससीओबी को पूर्वदत्त ऋण राशि की सीमा तक होगी।

9. प्रतिभूति

- **वैयक्तिक उधारकर्ताओं से प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति** – वैयक्तिक आवास ऋण या तो भूमि/ संपत्ति के बंधक योग्य स्वत्वाधिकार द्वारा प्रतिभूत हो अथवा यूसीबी/एससीओबी की पूर्ण संतुष्टि पर वैकल्पिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो।

  प्राथमिक ऋण का ऋण जोखिम पूर्णतया: यूसीबी/एससीओबी द्वारा लिया जाएगा एवं रा.आ. बैंक से अपेक्षित पुनर्वित्त प्रतिदेय होगा, भले ही प्राथमिक ऋण खाता नियमित या भिन्न प्रकार का हो।

  इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहां यूसीबी/एससीओबी योजना के तहत ऋण हेतु वैकल्पिक प्रतिभूति स्वीकार करते हैं यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उधारकर्ता कानूनी चुनौतियों एवं उधारकर्ता की बेदखली से खोने वाले ऋण से बचने के उद्देश्य से कार्यकाल की न्यूनतम अवधि का फायदा उठाता हो।

- **पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूति** – पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूति ढांचा वही होगा जो रा.आ. बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत संबंधित संस्थानों पर लागू है।

****

अनुबंध I

आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) हेतु प्रारूप

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

एनएचबी-एचएफसी.-01
पुनर्वित्त सीमा हेतु आवेदन

तारीख:

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली- 110003

महोदय,

हम ..... करोड़ रु. की पुनर्वित्त सीमा के अनुमोदन हेतु आवेदन करते हैं। ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

1	संस्थान का नाम, पता एवं फोन नम्बर		
2	रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख		
3	कंपनी का सीआईएन		
4	कंपनी का पीएएन		
5	पुनर्वित्त सीमा (*जो लागू हो चिह्नित करें*)	वार्षिक	
		अतिरिक्त	
		अग्रनीत	
6	वर्ष		
7	आवेदित राशि	₹ _____ (करोड़)	
8	यथा तारीख को रा.आ.बैंक पुनर्वित्त बकाया	₹ _____ (करोड़)	

हमने निम्नलिखित सूचनाएं संलग्न की हैं:

(यदि लागू हो तो कृपया चिह्नित करें)

1	31 मार्च, 20..... को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (*जिसमें लेखा परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट शामिल है*)	
2	लेखा परीक्षित प्रमाणपत्र कि नकद एवं बैंक शेष को घटाकर कुल मूर्त आस्तियों का कम से कम 51% वैयक्तिक आवास ऋण में नियोजित है (**संलग्नक I**)	
3	नवीनतम तिमाही/छमाही परिणाम *(यदि कोई लागू हो)*	
4	नवीनतम क्रेडिट रेटिंग *(यदि उपलब्ध हो)*	
5	**संलग्नक II**	
6	**संलग्नक III** *(केवल तभी प्रस्तुत किया जाए जब आ.वि.कं. रा.आ.बैंक का नया ग्राहक हो)*	

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचनाएं सत्य एवं सही हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

एनएचबी-एचएफसी-01 का संलग्नक आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त सहायता देने हेतु दिशा-निर्देशों का पालन

..... (दिनांक) को स्थिति

(i) कुल मूर्त आस्तियों की राशि (₹ करोड़)	
(क) कुल आस्तियां	
घटाएं (ख) अमूर्त	
घटाएं (ग) नकद और बैंक शेष	
नकद और बैंक शेष को छोड़कर कुल मूर्त आस्तियां (क-(ख+ग)	0
(ii) कुल वयैक्तिक आवास ऋण	
(iii) नकद एवं बैंक शेष को घटाकर कुल मूर्त आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वैयक्तिक आवास ऋण (*यदि प्रतिशत 51% से कम होता है तो संलग्नक के रूप में उपयुक्त टिप्पणी प्रस्तुत करें।*)	_____%

- 5 वर्ष या उससे अधिक स्वीकृत अवधि वाले ऋण वैयक्तिक आवास ऋण होंगे
- कुल मूर्त आस्तियां कुल आस्तियों में से अमूर्त आस्तियों को घटाने पर मिलेंगे।
- नकद और बैंक शेष में तरल अल्पावधि म्युचुअल फंड में किया गया निवेश भी शामिल होगा जोकि निवल स्वाधिकृत निधि का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर)

नाम	
पदनाम	

एनएचबी-एचएफसी.-01 का संलग्नक II

पुनर्वित्त सीमा हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियां/ सूचनाएं

1. ऋण का ब्यौरा

(₹करोड़)

विवरण	वैयक्तिक आवास ऋण	अन्य आवास ऋण	गैर-आवासीय ऋण	कुल
वर्ष के दौरान संस्वीकृत *(पूरे पिछले वर्ष)*				0
वर्ष के दौरान संवितरित *(पूरे पिछले वर्ष)*				0
31 मार्च, 20..... को बकाया				0

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL

2. ऋण के प्रकार

ऋण के प्रकार	वर्ष के दौरान संवितरण	यथा 31.03.2017 को बकाया	तिमाही के अंतिम दिवस को बकाया
वैयक्तिक आवास ऋण			
भवन निर्माताओं को आवास ऋण			
कॉर्पोरेट्स को आवास ऋण			
आवास बोर्ड/प्राधिकरण/सहकारी आवास सोसाइटी को आवास ऋण			
संपत्ति पर ऋण			
वाणिज्यिक मॉर्टगेज			
अन्य आ.वि.कं. को ऋण			

3. आवास ऋणों के संवितरण एवं बकाया का ग्रामीण-शहरी ब्रेकअप

(₹करोड़)

विवरण	वैयक्तिक आवास ऋण	अन्य आवास ऋण	कुल
ग्रामीण			0
शहरी			0
मेट्रो			0

4. ऋण राशि-वार वैयक्तिक आवास ऋण बकाया

ऋण राशि	31-03-2017		समाप्त तिमाही	
	(₹ करोड़)	इकाई-वार	(₹करोड़)	इकाई-वार
₹ 2 लाख रू. तक	-		-	
>₹ 2 लाख - ₹ 5 लाख	-		-	
>₹ 5 लाख - ₹ 10 लाख	-		-	
>₹ 10 लाख - ₹ 15 लाख	-		-	
>₹ 15 लाख - ₹ 20 लाख	-		-	
>₹ 20 लाख - ₹ 25 लाख	-		-	
₹ 25 लाख से अधिक	-		-	
कुल	**0**	**0**	**0**	**0**

5. शीर्ष 25 उधारकर्ताओं का ब्यौरा:

उधारकर्ता का नाम	बकाया राशि	स्वीकृत राशि	ऋण का उद्देश्य/प्रकार

6. वैयक्तिक आवास ऋण का आय-वार आंकड़ा

वार्षिक आय	31-03-2017		समाप्त तिमाही	
	(₹करोड़)	इकाईयां	(₹करोड़)	इकाईयां
₹ 2 लाख रू. तक	-		-	
>₹ 1 लाख - ₹ 2 लाख	-		-	
>₹ 2 लाख - ₹ 3 लाख	-		-	
>₹ 3 लाख - ₹ 4 लाख	-		-	
>₹ 4 लाख - ₹ 5 लाख	-		-	
>₹ 5 लाख - ₹ 6 लाख	-		-	
₹ 6 लाख से अधिक	-		-	
कुल	**0**	**0**	**0**	**0**

7. समाज के कमजोर वर्गों को वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ा

श्रेणी	स्वीकृत वैयक्तिक आवास ऋण	संवितरित वैयक्तिक आवास ऋण	वैयक्तिक आवास ऋण बकाया
अ.जा./अ.ज.जा.			
महिला			
अल्पसंख्यक वर्ग			
अन्य पिछड़ा वर्ग			

8. वैयक्तिक आवास ऋण का अवधि-वार ब्रेकअप

अवधि	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष के बीच	10-15 वर्ष के बीच	15-20 वर्ष के बीच	20 वर्ष से अधिक
इकाईयों की सं.					
संचयी बकाया					

9. 31 मार्च, 20..... को आवास ऋण का आस्ति वर्गीकरण

(₹करोड़)

विवरण	वैयक्तिक आवास ऋण	अन्य आवास ऋण	कुल
मानक			0
अवमानक			0
संदिग्ध			0
हानिप्रद			0
कुल	0	0	0

10. 31 मार्च, 20..... को समाप्त वर्ष के एनपीए में उतार-चढ़ाव

विवरण	(₹करोड़)
1 अप्रैल, 20..... के अनुसार अथशेष	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नए एनपीए	
घटाएं: वर्ष के दौरान वसूले गए एनपीए	
घटाएं:वर्ष के दौरान बट्टा खाता डाले एनपीए	
31 मार्च, 20..... को अंत शेष	0

11. 31 मार्च, 20..... को समाप्त वर्ष की एनपीए हेतु प्रावधानों का घट-बढ़	
विवरण	**(₹करोड़)**
1 अप्रैल, 20..... को अथशेष	
जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	
घटाएं: वर्ष के दौरान परिवर्तित प्रावधान	
31 मार्च, 20..... को अंत शेष	0

12. नवीनतम तिमाही के आवास ऋणों के संबंध में आयु-वार अतिदेय देनदार			
कुल वैयक्तिक आवास ऋण बकाया (*केवल मूलधन*)			
आयु-वार देनदार (ईएमआई अतिदेय)	**खातों की सं.**	**अतिदेय खातों में मूलधन बकाया का कुल**	**कुल आवास .ण बकाया के प्रतिशत के तौर पर (*केवल मूलधन*)**
1 -3 माह			
3 - 6 माह			
6 - 12 माह			
12 - 24 माह			
24 माह से अधिक			
कुल	**0**	0	0

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

13. 31 मार्च, 20..... को पूंजी पर्याप्तता अनुपात	
14. 31 मार्च, 20..... को समाप्त वर्ष हेतु बोर्ड द्वारा घोषित लाभांश	
15. 31 मार्च, 20..... और वर्तमान में भी शेयरधारिता की पैटर्न	

वर्ष के दौरान पूंजी डालने का ब्यौरा, यदि कोई हो

शेयर का एफवी	शेयर प्रीमियम	जारी कुल शेयर	लाभार्थी

[(4), (5), (6) और (7) की सूचना यदि वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है तो अलग से प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है]

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

एनएचबी-एचएफसी - 01 का संलग्नक III

यदि आवास वित्त कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक का नया ग्राहक है तो प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त सूचना

1. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें	
2. कंपनी के बहिर्नियम और कंपनी के अंतर्नियमों की प्रतिलिपि	
3. यदि कंपनी पैराग्राफ 2.2 के तहत कोई छूट चाहती है (तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखाओं को जमा करने की जरूरत है) तो इसके प्रमाण में आलेख, डाटा और आंकड़े	

4. निदेशक मंडल से संबंधित जानकारी:

निदेशक का नाम एवं लिंग	जन्म तिथि	निदेशक के प्रकार	डीआईएन सं.	पैन नं.	वर्तमान पता एवं फोन नं.	क्या किसी अन्य कंपनी के बोर्ड में हैं	निदेशक का संक्षिप्त प्रोफाइल

कृपया पैन कार्ड एवं पता प्रमाण की प्रतियां प्रस्तुत करें

5. अन्य संस्थानों से ऋणों का ब्यौरा

ऋणदाता का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	यथा _____ को बकाया राशि	प्रतिभूति

कृपया स्वीकृति पत्रों की प्रतियां संलग्न करें

6. अगले 5 वर्षों का कारोबार योजना एवं अनुमान	
7. रा.आ.बैंक के साथ कार्य करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों की सूची	
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

एनएचबी-एचएफसी - 01 का संलग्नक IV

आवास वित्त कंपनी का नाम:	
रा.आ.बैंक के साथ पंजीकरण का वर्ष:	

➢ **संरचना और विविधीकरण**		
क्र.सं.	**अपेक्षित जानकारी**	
1	शाखाओं की संख्या	
2	पोर्टफोलियो का क्षेत्रीय संकेद्रण *(वार्षिक स्वीकृति/संवितरण का क्षेत्र-वार %)*	
	• उत्तर	
	• दक्षिण	
	• पूर्व	
	• पश्चिम	

कृपया उन राज्यों की सूची प्रदान करें जहां आ.वि.कं. का एक्सपोजर कुल ऋण पोर्टफोलियों का 25% से अधिक है।

➢ प्रबंधन		
क्र.सं.	**अपेक्षित जानकारी**	
1	शीर्ष प्रबंधन के अनुभव का वर्ष एवं योग्यता	
	• अध्यक्ष	
	• प्रबंध निदेशक	
	• कार्यपालक निदेशक	
	• क्रेडिट विभाग के प्रमुख	
	• वसूली प्रकोष्ठ के प्रमुख	

➢ जोखिम प्रबंधन प्रणाली

क्र.सं	**सिस्टम/नीति का प्रकार**	**बोर्ड अनुमोदित या नहीं**	**यदि अनुमोदित-अनुमोदन की तारीख एवं संख्या**
1	जोखिम प्रबंधन नीति		
2	ऋण समीक्षा तंत्र		
3	वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित बैठकों की सं.		
4	आंतरिक लेखा (हां/नहीं)		
5	आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति		
6	जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना		

7	बोर्ड अनुमोदित एएलएम नीति (हां/नहीं)		
8	अलको बैठकों की आवृत्ति		
9	अलग जोखिम प्रबंधन विभाग का अस्तित्व (हां/नहीं)		

➢ नियोजन एवं प्रक्षेपण

क्र.सं.	**अपेक्षित जानकारी**	
1	आने वाले वित्त वर्ष हेतु लाभ अनुमान (पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि)	
2	आने वाले वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व का अनुमान (पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि)	
3	अनुमानित पूंजी निवेश	
4	वैयक्तिक आवास ऋण	

➢ ऋणदाताओं को चुकौती का ट्रैक रिकॉर्ड

क्र.सं.	**अपेक्षित जानकारी- ऋण दायित्वों के चुकौती में विलंबों की सूची प्रदान करे, यदि कोई हो** **ऋणदाता/ऋण साधन (*)**	**नियत तारीख**	**चुकौती की तारीख**

HOUSING BANK

➢ ग्राहक मिक्स (कुल पोर्टफोलियो)

	वेतनभोगी	**स्वरोजगार- पेशेवर**	**स्वरोजगार- गैर-पेशेवर**	**व्यवसायी**
संवितरण				
बकाया				

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

एनएचबी-एचएफसी-02

पुनर्वित्त के संवितरण हेतु आवेदन

तिथि:

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली - 110003

महोदय,

कृपया वैयक्तिक आवास ऋणों के लिये पुनर्वित्त संवितरण नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार किया जा सकता है। विशिष्ट पुनर्वित्त योजना (ओं) के तहत अपेक्षित ब्यौरा जिसके लिये पुनर्वित्त मांगा गया है, अनुबंध ..... में दिया गया है।

1	आवेदन की तारीख			
2	संस्थान का नाम			
3	वर्ष			
4	वर्तमान वर्ष हेतु पुनर्वित्त सीमा (जो लागू हो उस पर टिक करें)	**विवरण**	***यदि लागू हो तो टिक करें***	(₹ करोड़)
		वार्षिक		
		अतिरिक्त		
		अग्रेनीत		
		उपयोजित सीमा		
		बकाया सीमा		
5	संवितरण हेतु मांगी गई राशि			
6	योजना जिसके अंतर्गत वितरण की मांग की जाती है	*यदि लागू हो तो टिक करें*	(₹ करोड़)	**संलग्न ब्यौरा**
	नियमित पुनर्वित्त योजना			अनुबंध 1
	किफायती आवास निधि की ग्रामीण श्रेणी			अनुबंध 2
	किफायती आवास निधि की शहरी श्रेणी			अनुबंध 3
	केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता			अनुबंध 4
	निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना			अनुबंध 5
	कुल		0	

7	आवास वित्त कंपनी की बहियों में कुल शेष वैयक्तिक आवास ऋण	यथा 31 मार्च 20.... को	₹_____ करोड़

8. हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि: (i) इन ऋणों पर राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी भी अन्य संस्थान से कोई भी पुनर्वित्त/वित्तीय सहायता नहीं ली गई है और पुनर्वित्त के लंबित रहने तक ये ऋण लेखा अभारित रहेगें। (ii) आवास ऋणों के संबंध में मांगा गया पुनर्वित्त संबंधित योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुसार दिया गया है और प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हमें समयस-मय पर सूचित सामान्य नीति तथा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है। (iii) वे ऋण जिनके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, बैंक के बहीखातों में दर्ज मौजूदा ऋण हैं और इस प्रपत्र में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुरूप हैं। (iv) घटकों को दिये आवास ऋणों का उनके द्वारा उसी उदेश्य के लिये किया गया है जिसके लिए ऋण प्रदान किये गये है। (v) रा.आ.बैंक पुनर्वित्त के तहत आने वाले आवास ऋणों को राष्ट्रीय आवास बैंक की परिभाषा के अनुसार मानक अस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (vi) हम उन सभी ऋणों की सही पहचान करेंगे जिनके लिए रा.आ.बैंक से वित्तीय सहायता ली गई है और ऐसे सभी ऋणों की सूची बनाई गई है। ऐसे लेखाओं से संबंधित सभी सूचना हमारे पास तुरंत उपलब्धता के लिये तैयार रखी जाएगी। वैयक्तिक आवास ऋण रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त से एक बार चिह्नित होने पर रा.आ.बैंक के पूर्व अनुमोदन से बदले जाएंगे और वे कंपनी के बहीखाता में बने रहेंगे तथा स्पष्ट रुप से पहचाने जा सकेंगे। हम ऐसे बही ऋणों की सूची राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराने का वचन देते हैं। इसके अतिरिक्त, शाखाओं में राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त ऋणों की सूची उपलब्ध होगी ताकि निरीक्षण के दौरान उनकी पहचान आसानी से की जा सके। (vii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी सूचना/विवरणियां शीघ्रता से प्रस्तुत की जाएंगी।	
9. पुनर्वित्त राशि निम्न बैंक में जमा की जा सकती है।	हमारे खाता सं. _____ जिसका आईएफसी कोड _____ के साथ _____ _____(बैंक/शाखा/स्थान का नाम).
10. पुनर्वित्त पर ब्याज मासिक आधार पर चक्रवृद्धित होगा और तिमाही भुगतान किया जाएगा।	
11. हम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रस्तुत चुकौती अनुसूची के अनुसार पुनर्वित्त चुकता करने का वचन देते हैं।	
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-एचएफसी - 02 का अनुबंध I

नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत दावा का ब्यौरा				
1	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**नियमित पुनर्वित्त योजना**		
2	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिए पुनर्वित का दावा किया गया *(1 वर्ष से 15 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**ब्याज दर का प्रकार**	*जो लागू हो कृपया उसपर टिक लगाएं*	
		स्थिर		
		अस्थिर		
5	रियायतें, यदि कोई है तो अनुबंध 1 (क) संलग्न करें	**ऋण का प्रकार**	*जो लागू हो कृपया उसपर टिक लगाएं*	
		ऋण (₹ 10 लाख) तक		
		ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण		
		महिलाओं को ऋण		
		थर्ड जेंडर के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्तियों हेतु ऋण		
		हरित आवास हेतु ऋण		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़. रू.)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		₹ 25 लाख से ऊपर		
		कुल	**0**	**0**

7	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्योरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से ऊपर		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारे खातों से सत्यापित किया जा सकता है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-एचएफसी - 02 का अनुबंध I (क)
नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत दावा का ब्यौरा

			इकाईयों की सं.	राशि (.करोड़ रु)
1	ऋण के प्रकार जिस हेतु रियायत मांगी गई	ऋण (₹ 10 लाख) तक		
		ग्रामीण क्षेत्र मे ऋण		
		महिलाओं को ऋण		
		थर्ड जेंडर के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्तियों हेतु ऋण		
		हरित आवास हेतु ऋण § घरेलू सौर उपस्कर § जल संचयन § रा.आ.बैंक-केएफडब्ल्यू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% बचाने हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास)		

हम प्रमाणित करते है कि:
(i) जहां लाभार्थी के महिला/तीसरी जेंडर का व्यक्ति/ विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्ति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति होने के कारण रियायत मांगी गई है, तो लाभार्थी वित्तपोषित संपत्ति के मालिक/ सह-मालिक हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)

नाम	
पद	

एनएचबी-एचएफसी - 02 का अनुबंध 2
किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना**		
2	दावा की गई राशि (₹ करोड़)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिए पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		कुल	**0**	**0**
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**

7	पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा										
सं.	**राज्य**	**सीमान्त किसान**		**महिलाएं**		**एससी/ एसटी**		**अल्पसंख्यक**		**अन्य**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)											
(ii)											
(iii)											
(iv)											
(v)											
(vi)											
(vii)											

(viii)											
(ix)											
(x)											
(xi)											
(xii)											
(xiii)											
(xiv)											
(xv)											
(xvi)											
(xvii)											
(xviii)											
(xix)											
(xx)											
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते है कि:
(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है; (ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 01-04-2017 को या उसके बाद किया गया; (iii) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं आता है; (iv) ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर *भा.रि.बैंक* के मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 14 के अनुसार कमजोर वर्ग के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को दिया गया है - दिनांक 7 जुलाई, 2016 को लक्ष्य और वर्गीकरण, महिला उधारकर्ता, या ग्रामीण जनसंख्या जिनकी वार्षिक आय ₹ 3 लाख से अधिक नहीं है; (v) जहां ऋण महिला को सह-उधारकर्ताओं में से एक के आधार पर 'कमजोर वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल उन मामलों को दावे के तहत शामिल किया गया है, जहां महिलाओं को संपत्ति वित्त पोषित के सह-मालिक होने के कारण शामिल किया गया है; (vi) इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा के मानदंड को पूरा करते है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-एचएफसी-02 का अनुबंध 3
किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना**				
2	दावाकृत राशि (₹ करोड़)	<<अंकों में>>				
		<<शब्दों में>>				
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3* वर्ष से *7* वर्ष*)*	<<वर्ष एवं महीने>>				
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**				
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**		
		₹ 2 लाख तक				
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख				
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख				
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख				
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख				
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख				
		₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख				
		कुल	**0**	**0**		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**		
		₹ 1 लाख तक				
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख				
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख				
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख				
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख				
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख				
		कुल	**0**	**0**		
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा					

सं.	**राज्य**	**महानगरीय**		**अन्य क्षेत्र**		**कुल**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0

(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
(xi)						0	0
(xii)						0	0
(xiii)						0	0
(xiv)						0	0
(xv)						0	0
(xvi)						0	0
(xvii)						0	0
(xviii)						0	0
(xix)						0	0
(xx)						0	0
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किया गया;

(iii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में आता है;

(iv) शहरी क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋण उन उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 6 लाख से अधिक नहीं है;

(v) इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा के मानदंड को पूरा करते है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम	
पद	

एनएचबी-एचएफसी - 02 का अनुबंध 4

केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता के तहत दावे का ब्यौरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता**		
2	दावाकृत राशि (₹ करोड़)	<<अंको में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल वैयक्तिक आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख		
		कुल	**0**	**0**
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 15-08-2018 को या उसके बाद एवं 30-06-2019 किया गया;

(iii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को किया गया है;

(iv) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं आता है;

(v) ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और भा.रि.बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देश(समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग के तहत आने वाले व्यक्तियों; या उन उधारकर्ताओं को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3 लाख से अधिक नहीं है; या महिला उधारकर्ताओं को दी गई है;

(vi) जहां ऋण महिला को सह-उधारकर्ताओं में से एक के आधार पर 'कमजोर वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल उन मामलों को दावे के तहत शामिल किया गया है, जहां महिलाओं को संपत्ति वित्त पोषित के सह-मालिक होने के कारण शामिल किया गया है;

(vii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में आता है;

(viii) शहरी क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋण उन उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 6 लाख से अधिक नहीं है;

(ix) इस दावे में केवल इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा से अधिक अंतिम लाभार्थी से दर प्रभारित नहीं किए जाते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-एचएफसी-02 का अनुबंध 5

निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना के तहत दावे का ब्योरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना**		
2	दावाकृत राशि (करोड़ रु.) (₹ करोड़)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया (5 वर्ष से 15 वर्ष)	<<वर्ष एवं महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	वित्त पोषित इकाईयों की संख्या		**प्रतिभूति**	
		आय	**मॉर्टगेज**	**वैकल्पिक रूप से प्रतिभूतिकृत**
		औपचारिक		
		अनौपचारिक		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते है कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 25-02-2013 को या उसके बाद किया गया;

(iii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण शहरी क्षेत्रों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) में स्थित आवास इकाईयों के संबंध में किया गया है;

(iv) ऋण अनौपचारिक आय प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को संवितरित किया गया है;

(v) ऋणों का ऋण मूल्य अनुपात 80% के बराबर या कम है;

(vi) ऋण इस पिरयोजना हेतु निर्धारित पर्यावरण और सामाजिक समुचित सावधानी को पूरा करता है;
(vii) शहरी क्षेत्रों में संवितरित ऋण, जिसके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, आवास इकाईयों की खरीद या निर्माण हेतु ऋणों के मामले में 3 लाख रूपए से कम आय और मौजूदा आवास इकाई की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन हेतु ऋणों के मामले में 2 लाख रू. से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है;
(viii) शहरी क्षेत्रों में संवितरित ऋण, जिसके लिए योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, पीएलआई अपनी ऋण नीति के अनुसार ऋण राशि निर्धारित करता है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

राष्ट्रीय आवास बैंक HOUSING BANK

एनएचबी-एचएफसी -03	
	दिनांक:
भावी उधार के लिये पुनर्वित्त के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र	

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली – 110003

महोदय,

_____ (आवास वित्त कंपनी का नाम) ने भावी ऋणों के लिये निम्नलिखित पुनर्वित्त का दावा किया था:

जारी करने की तारीख	**भावी ऋणों के तहत जारी राशि**	**योजना कोड जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया**

जारी करने के समय हमने यह शुरूआत की कि रा.आ.बैंक द्वारा संवितरण की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उक्त दावे के तहत हमारे द्वारा आहरित समस्त पुनर्वित्त वैयक्तिक आवासीय ऋण द्वारा समर्थित होगा।

अब हम पुष्टि और प्रमाणित करते हैं कि वैयक्तिक आवासीय ऋणों के अग्रिम हेतु उपरोक्त राशि रु. --------का पूरा उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया गया है:

योजना कोड जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**राशि**	**वैयक्तिक ऋण खातों की सं.**

ये आवासीय ऋण रा.आ.बैंक पुनर्वित्त हेतु विधिवत चिन्हित हैं और हमारे रिकार्ड से इनकी पहचान की जा सकती है। इन ऋणों का विवरण बही ऋणों के विवरण में शामिल किया जाएगा जो रा.आ.बैंक को प्रत्येक वर्ष यथा 30 सितंबर और 31 मार्च को प्रारूप _____ के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।
भवदीय,
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम	
पदनाम	

टिप्पणी: यह प्रमाणपत्र भावी ऋणों के लिये पुनर्वित्त जारी करने की तारीख से तीन माह की अवधि समाप्त होने से 14 दिन के भीतर रा.आ.बैंक को अवश्य भेजा जाए।

एनएचबी-एचएफसी -04

तिमाही विवरणी

(तिमाही समाप्त के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए)

आवास वित्त कंपनी का नाम	
विवरणी की तिथि	
समीक्षा के तहत तिमाही समाप्ति में निवल स्वाधिकृत निधि	

सभी राशि करोड़ ₹ में

I	**ऋण संस्वीकृति**	**चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछली तिमाही तक**		**रिपोर्ट के तहत तिमाही के दौरान**		**रिपोर्टिंग तिथि पर संचयी संस्वीकृति**	
		[1]		**[2]**		**[1+2=3]**	
		सं.	**राशि**	**सं.**	**राशि**	**सं.**	**राशि**
वैयक्तिकों को ऋण							
i.	नई इकाइयों के निर्माण / खरीद हेतु वैयक्तिकों को आवासीय ऋण					0	0.00
ii	पुरानी इकाइयों को खरीदने के लिए ऋण (पुनर्विक्रय)					0	0.00
iii	मौजूदा इकाइयों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए ऋण					0	0.00

iv	वैयक्तिकों को बंधक / संपत्ति / आवासीय इक्विटी ऋण और अन्य गैर आवासीय ऋण के लिए					0	0.00
बिल्डर ऋण							
i	रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
ii	गैर-रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
iii	अन्य					0	0.00
कॉरपोरेट को ऋण							
i	रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
ii	गैर-रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
iii	अन्य					0	0.00
कुल		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**

II	**ऋण संवितरण**	**चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछली तिमाही तक**		**रिपोर्ट के तहत तिमाही के दौरान**		**रिपोर्टिंग तिथि पर संचयी संवितरण**	
		[1]		**[2]**		**[1+2=3]**	
		सं.	**राशि**	**सं.**	**राशि**	**सं.**	**राशि**
वैयक्तिकों को ऋण							
i.	नई इकाइयों के निर्माण / खरीद हेतु वैयक्तिकों को आवासीय ऋण					0	0.00
ii	पुरानी इकाइयों को खरीदने के लिए ऋण (पुनर्विक्रय)					0	0.00
iii	मौजूदा इकाइयों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए ऋण					0	0.00
iv	वैयक्तिकों को बंधक / संपत्ति / आवासीय इक्विटी ऋण और अन्य गैर आवासीय ऋण के लिए					0	0.00
बिल्डर ऋण							
i	रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
ii	गैर-रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
iii	अन्य					0	0.00
कॉरपोरेट को ऋण							
i	रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
ii	गैर-रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
iii	अन्य					0	0.00
कुल		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**

III	**बकाया ऋण**	**चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछली तिमाही तक**		**रिपोर्ट के तहत तिमाही के दौरान**		**रिपोर्टिंग तिथि पर संचयी बकाया**	
		[1]		**[2]**		**[1+2=3]**	
		सं.	**राशि**	**सं.**	**राशि**	**सं.**	**राशि**
वैयक्तिकों को ऋण							

i.	नई इकाइयों के निर्माण / खरीद हेतु वैयक्तिकों को आवासीय ऋण					0	0.00
ii	पुरानी इकाइयों को खरीदने के लिए ऋण (पुनर्विक्रय)					0	0.00
iii	मौजूदा इकाइयों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए ऋण					0	0.00
iv	वैयक्तिकों को बंधक / संपत्ति / आवासीय इक्विटी ऋण और अन्य गैर आवासीय ऋण के लिए					0	0.00
बिल्डर ऋण							
i	रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
ii	गैर-रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
iii	अन्य					0	0.00
कॉरपोरेट को ऋण							
i	रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
ii	गैर-रिहायशी परियोजनाएं					0	0.00
iii	अन्य					0	0.00
कुल		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**

IV	**कुल निवेश (1)**	**तिमाही का प्रारंभिक शेष**	**तिमाही का अंतिम शेष**
V	**कुल ऋण और अग्रिम (2)**	**तिमाही का प्रारंभिक शेष**	**तिमाही का अंतिम शेष**
कुल [1+2]		0	0

VI	**उधार**	**ऋणदाता की श्रेणी**	**तिमाही का प्रारंभिक शेष**	**तिमाही का अंतिम शेष**
	रक्षित	बैंक/ वित्तीय संस्थान		
		रा.आ.बैंक		
		बॉण्ड/ डिबेंचर		
		अन्य (एनसीडी आदि)		
		कुल (1)	0	0
	अरक्षित	जनता की जमाराशियां		
		बॉण्ड/ डिबेंचर		
		आईसीडी		
		कुल		
		कुल (2)	0	0
कुल [1+2]			0	0

VII	**यथा तिमाही के अंतिम दिन सभी ऋणों का आस्ति वर्गीकरण**	**वर्गीकरण**	**बकाया शेष**	**प्रावधान**
		मानक		
		अव-मानक		
		संदिग्ध		
		हानिप्रद		
कुल			0	0

VIII	**कुल आवास ऋणों के आयु-वार ऋणी (ईएमाई-अतिदेय)**	**आयू-वार अतिदेय ऋणी**	**खातों की संख्या**	**कुल मूलधन बकाया**	**कुल बकाया आवासीय ऋणों (केवल मूलधन) के प्रतिशत के रूप में**
		1-3 माह			
		3-6 माह			
		6-12 माह			
		12-24 माह			
		> 24 माह			

IX	**यथा तिमाही के अंतिम दिन रा.आ.बैंक पुनर्वित्त के लिए चिह्नित आवासीय ऋणों का आस्ति वर्गीकरण**	**वर्गीकरण**	**बकाया शेष**	**प्रावधान, यदि कोई**
		मानक		
		अव-मानक		
		संदिग्ध		
		हानिप्रद		
कुल			0	0

X	**जीएनपीए एवं एनएनपीए स्थिति**	**चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछली तिमाही तक**		**समीक्षा के तहत तिमाही हेतु**		**अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष (31 मार्च, _____) के अनुसार**	
		राशि में	**% में**	**राशि में**	**% में**	**राशि में**	**% में**
	जीएनपीए – वैयक्तिक आवासीय ऋण						
	वैयक्तिक आवासीय ऋण के प्रतिशत के रूप में						
	जीएनपीए – अन्य आवासीय ऋण						
	जीएनपीए – गैर- आवासीय ऋण						
	कुल जीएनपीए	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	एनएनपीए - वैयक्तिक आवासीय						

	ऋण						
	वैयक्तिक आवासीय ऋण के प्रतिशत के रूप में						
	एनएनपीए - अन्य आवासीय ऋण						
	एनएनपीए - गैर- आवासीय ऋण						
	कुल एनएनपीए	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XI	**वैयक्तिक आवासीय ऋणों का क्षेत्र-वार संवितरण**	**चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछली तिमाही तक**		**रिपोर्ट के तहत तिमाही के दौरान**		**रिपोर्टिंग तिथि पर संचयी संवितरण**	
		इकाई	**राशि**	**इकाई**	**राशि**	**इकाई**	**राशि**
	ग्रामीण						
	शहरी						
XII	**ब्याज दर प्रोफाइल**	**न्यूनतम ब्याज चार्ज (प्रति वर्ष)**		**अधिकतम ब्याज चार्ज (प्रति वर्ष)**		**भारिता ब्याज दर (प्रति वर्ष)**	
	वैयक्तिक आवासीय ऋण						
	वैयक्तिक गैर-आवासीय ऋण						
	बिल्डर/कॉरपोरेट - आवासीय ऋण						
	बिल्डर/कॉरपोरेट एवं अन्य- गैर-आवासीय ऋण						

हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस विवरणी में दी गई सूचना सत्य एवं सही है और हमारी बही से सत्यापित की जा सकती हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

एनएचबी-एचएफसी -05
प्रतिकूल शेष विवरणी का छमाही प्रमाण-पत्र
(छमाही समाप्त होने के दो माह के भीतर प्रस्तुत की जाए)

तालिका I

(करोड़ ₹)

1	संस्थान का नाम								
2	समाप्त छमाही हेतु प्रतिकूल शेष प्रमाण पत्र								
3	प्रस्तुति की तारीख								
		पुनर्वित्त योजना							
4	**प्रतिकूल शेष की गणना**								**कुल**
(क)	सभी बकाया आवासीय ऋणों का कुल योग जिनके लिये पुनर्वित्त यथा 31 मार्च, 20___/30 सितम्बर, 20___ को लिया गया								0
(ख)	यथा 31 मार्च, 20_/30 सितम्बर, 20_ को रा.आ.बैंक को देय बकाया पुनर्वित्त								0
(ग)	(प्रतिकूल शेष)/अनुकूल शेष **[(ख)-(क)]**	0	0	0	0	0	0	0	0

प्रतिकूल शेष के मामले में, निम्नलिखित पुनर्वित्त खाता-वार-सूचना दी जाए:

तालिका II

सं.	**पुनर्वित्त खाता सं.**	**पुनर्वित्त योजना क**	**यथा 31 मार्च, 20_/30 सितम्बर, 20_ को पुनर्वित्त बकाया**	**बकाया आवासीय ऋणों का कुल योग**	**प्रतिकूल शेष**

तालिका-III - संपार्श्विक प्रतिभूति/मार्जिन के उद्देश्य के लिए चिह्नित अतिरिक्त ऋणों का ब्योरा

(उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए जहां पुनर्वित्त प्रतिभूति ढांचे में मार्जिन/संपार्श्विक प्रतिभूति का प्रावधान है)

सं.	पुनर्वित्त योजना कोड	मार्जिन के रूप में चिह्नित आवासीय ऋण (यथा 31 मार्च, 20_/30 सितम्बर, 20_ को बकाया शेष	यथा 31 मार्च, 20_/30 सितम्बर, 20_ को बकाया पुनर्वित्त (प्रतिकूल शेष का समायोजन करने के बाद)	(ग) के प्रतिशत के रूप में (ख)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!

हम यह प्रमाणित करते हैं कि:
(i) इस विवरणी में दी गई सूचना सत्य और सही है और हमारी बही से इसका सत्यापन किया जा सकता है;
(ii) ऋण खाते जो स्थिर ब्याज दर से अस्थिर ब्याज दर में परिवर्तित होने या किन्हीं अन्य कारणों से समय-पूर्व ऋण खातें बंद किये गए और उसी उधारकर्ता का नया ऋण खाता उसी आवासीय इकाई को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में वित्त पोषित किया गया, वह रा.आ.बैंक से बकाया पुनर्वित्त के तहत बनी रहेगी। ऐसे खातों को उपर्युक्त तालिका-1 में 4(ग) में गणना करते समय छोड़ नहीं गया है;
(iii) यथा 31 मार्च / 30 सितंबर को बकाया पुनर्वित्त आगामी तिमाही के 1 अप्रैल / 1 अक्टूबर को देय मांग के लिए मार्च / सितंबर के आखिरी सप्ताह में पहले से की गई पूर्व-चुकौती के कारण कम शेष राशि नहीं दिखाता है;
(iv) वे ऋण खाते जिनके लिए रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त लिया गया है, कंपनी के रिकार्ड से आसानी से अलग पहचाने जा सकते हैं। ऐसे सभी खातों की सूची एनएचबी-एचएफसी-05 के अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट प्रारूप में संलग्न की गई है;
(v) यह प्रमाण पत्र हमारे निदेशक मंडल की _____ को आयोजित _____ बैठक में प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने इस पर विचार किया, उनका संकल्प यथा निम्नलिखित _____ देखें।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)		(कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)	
नाम		सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	
पदनाम		फर्म पंजीकरण सं.	
		भागीदारी सं.	

एनएचबी-एचएफसी-05 का अनुलग्नक I

चिह्नित ऋणों की विवरणी

(प्रतिकूल शेष प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करें)

तालिक

सं.	पुनर्वित्त खाता सं.	पुनर्वित्त योजना	कंपनी की शाखा	फाइल सं.	ग्राहक का नाम एवं पता	संपत्ती का पता	बंधक/गिरवी की तिथि	31 मार्च, 20_ / सितम्बर, 20_ बकाया ऋण

तालिका II- मार्जिन के लिये चिन्हित अतिरिक्त ऋणों की विवरणी

सं.	पुनर्वित्त खाता सं.	पुनर्वित्त योजना	कंपनी की शाखा	फाइल सं.	ग्राहक का नाम एवं पता	संपत्ती का पता	बंधक/गिरवी की तिथि	31 मार्च, 20_ / सितम्बर, 20_ बकाया ऋण

टिप्पणी :

(i) चिह्नित बही ऋणों का यह विवरण अर्धवार्षिक प्रतिकूल शेष प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।

(ii) जब पुनर्वित्त, सभी बही ऋणों के लिये समान प्रभार द्वारा प्रतिभूतिकृत हो, तो सभी बही ऋणों के संबंध में तालिका-1 में दिए गए प्ररूप में प्रत्येक व
31 मार्च को स्थिति की विवरणी प्रस्तुत की जाए।

एनएचबी-एचएफसी -06										
उधारों पर छमाही सूचना										
(छमाही समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए)										
1	संस्थान का नाम									
2	समाप्त छमाही हेतु ऋणों पर सूचना									
3	प्रस्तुति की तारीख									
4	छमाही रिपोर्टिंग के दौरान लिये वृद्धिशील ऋण	**ऋणदाता**	**सुविधा की प्रकृति**	**संस्वीकृत राशि (करोड़ रूपए)**	**ब्याज दर**	**अवधि**	**छमाही रिपोर्टिंग के अंतिम दिन बकाया**	**अतिदेय**	**प्रतिभूति**	**क्या प्रभार आरओसी द्वारा पंजीकृत**
5	छमाही रिपोर्टिंग के अंतिम दिन बकाया समेकित ऋण	**ऋणदाता**	**सुविधा की प्रकृति**	**संस्वीकृत राशि (करोड़ रूपए)**	**ब्याज दर**	**अवधि**	**छमाही रिपोर्टिंग के अंतिम दिन बकाया**	**अतिदेय**	**प्रतिभूति**	**क्या प्रभार आरओसी द्वारा पंजीकृत**
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)										
नाम										
पदनाम										

एनएचबी-एचएफसी -07		
नकारात्मक धारणाधिकार की वार्षिक पुष्टि		
(वित्त वर्ष समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए)		
1	संस्थान का नाम	
2	समाप्त वर्ष की विवरणी	
3	प्रस्तुति की तारीख	
4	31 मार्च, 20_ को पुनर्वित्त बकाया	

हम यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 20_ को हमारी किसी भी आस्ति पर, कथित तारीख को हमारी बहियों में हमारे किसी भी बकाया उधार के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रभार नहीं लगाया गया।

अत:, हम पुष्टि करते हैं कि रा.आ.बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ निष्पादित ''नकारात्मक धारणाधिकार'' का पूर्ण रूप में अनुपालन किया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

(***अहर्ताएं, यदि कोई, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए)

[यह विवरण केवल उन्हीं आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाए जिन्होंने पुनर्वित्त लेने के लिए रा.आ.बैंक के साथ नकारात्मक धारणाधिकार का निष्पादन किया है।
यह उन आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाए जिनका पुनर्वित्त बही ऋणों पर प्रभार द्वारा प्रतिभूतिकृत किया गया है।]

एनएचबी-एचएफसी -08					
वार्षिक विवरणी					
(वित्त वर्ष समाप्त होने के 2 माह के भीतर प्रस्तुत की जाए)					
1	संस्थान का नाम				
2	समाप्त वर्ष की विवरणी				
3	प्रस्तुति की तारीख				
4	वर्ष समाप्ति में निवल स्वाधिकृत निधि				
5	एचएफसी की ऋण प्रोफाइल				
(क) वर्ष के दौरान संस्वीकृति		इंडिया बुल्स को आवासीय ऋण	वैयक्तिकों को गैर-आवासीय ऋण	आवासीय ऋण बिल्डर/ कॉरपोरेट आदि	गैर- आवासीय ऋण बिल्डर/ कॉरपोरेट आदि
चालू वित्तीय वर्ष					
पिछला वित्तीय वर्ष					
(ख) संवितरण		इंडिया बुल्स को आवासीय ऋण	वैयक्तिकों को गैर-आवासीय ऋण	आवासीय ऋण बिल्डर/ कॉरपोरेट आदि	गैर- आवासीय ऋण बिल्डर/ कॉरपोरेट आदि
चालू वित्तीय वर्ष					
पिछला वित्तीय वर्ष					
(ग) बकाया		इंडि ड्युल्स को आवासीय ऋण	वैयक्तिकों को गैर-आवासीय ऋण	आवासीय ऋण बिल्डर/ कॉरपोरेट आदि	गैर- आवासीय ऋण बिल्डर/ कॉरपोरेट आदि
चालू वित्तीय वर्ष					
पिछला वित्तीय वर्ष					
(घ) जीएनपीए (सभी ऋणों पर)		राशि करोड़ ₹ में		प्रतिशत	
(ङ) एनएनपीए (सभी ऋणों पर)		राशि करोड़ ₹ में		प्रतिशत	
6	रा.आ.बैंक से दिशा-निर्देशों सहायता के साथ अनुपालन एवं पूर्व-चुकौती ट्रैक	**बयोरा**	***जो लागू हो टिक करें***		
			हाँ	**नहीं**	

	रिकार्ड के संबंध में सूचना	कुल मूर्त आस्तियों का कम से कम 51% और बैंक शेष वैयक्तिक आवासीय ऋण में नियोजित किया जाना चाहिए। *(यदि प्रतिशत 51% से कम है, तो उचित टिप्पणी संलग्नक के रूप में प्रस्तुत की जाए)*			
		क्या कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, निवेशकों या जमाकर्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में चूक की। *(यदि हां, तो राशि, दिनांक संस्थान/निवेशक/जमाकर्ता का नाम एवं कारण दर्शाते हुए अलग से ब्योरा प्रस्तुत करें)*			
		क्या कंपनी ने सभी सांविधिक देयों, अग्रिम कर आदि का भुगतान किया है। *(किसी अपवाद के मामले में, राशि, दिनांक एवं कारण दर्शाते हुए अलग से ब्योरा प्रस्तुत करें)*			
7	31 मार्च, 20_ को समाप्त वर्ष के दौरान सकल एनपीए की घट-बढ़	**विवरण**	**आवासीय**	**गैर-आवासीय**	**कुल**
		1 अप्रैल, 20_ को प्रारंभिक शेष			0
		घटाएं : वर्ष के दौरान वसूले एनपीए			0
		जोड: वर्ष के दौरान नए एनपीए			0
		घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले एनपीए			0
		31 मार्च, 20_ को अंतिम शेष	0	0	0
8	वर्ष के अंतिम दिन रा.आ.बैंक पुनर्वित्त के लिए चिह्नित वैयक्तिक आवासीय	**वर्गीकरण**	**बकाया शेष**	**प्रावधान, यदि कोई**	

	ऋणों का आस्ति वर्गीकरण (करोड़ ₹)	मानक		
		अव-मानक		
		संदिग्ध		
		हानिप्रद		
		कुल	0	0

• वैयक्तिक आवासीय ऋण वह ऋण होंगे जिसने 5 वर्ष और उससे अधिक के संस्वीकृत कार्यकाल को पूरा किया होगा

• कुल मूर्त आस्ति अमूर्त आस्तियों को घटाकर कुल आस्ति होगी

• चलनिधि अल्पकालिक म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश में नकद और बैंक शेष भी शामिल होंगे, जो निवल स्वाधिकृत निधि का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।

9	एसोसिएट/ग्रुप कंपनियों/उद्यमों के शेयरों में निवेश	**कंपनी का नाम**	**राशि (करोड़ रू.)**	**धारिता (%)**	
10	एसोसिएट/ग्रुप कंपनियों/उद्यमों को निवेश एवं ऋण और अग्रिम	**कंपनी का नाम**	**राशि (करोड़ रू.)**	**एचएफसी के एनओएफ के % के रूप में**	**एसोसिएट/ग्रुप कंपनी के एनओएफ के % के रूप में**
11	एसोसिएट/ग्रुप कंपनियों/उद्यमों से निवेश एवं ऋण और अग्रिम	**कंपनी का नाम**	**राशि (करोड़ रू.)**	**एचएफसी के एनओएफ के % के रूप में**	**एसोसिएट/ग्रुप कंपनी के एनओएफ के % के रूप में**
12	कंपनी में निदेशकों की शेयरधारिता	**निदेशक का नाम**			**धारिता (%)**
13	कंपनी में उच्च 10 वैयक्तिक शेयरधारक	**निदेशक का नाम**			**धारिता (%)**

राष्ट्रीय आवास बैंक

14	कंपनी में उच्च 10 कॉरपोरेट शेयरधारक	**निदेशक का नाम**	**धारिता (%)**

हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस विवरणी में दी गई सूचना सत्य एवं सही है और हमारी बही से सत्यापित की जा सकती हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

एनएचबी-एचएफसी -09
लाभार्थियों के वर्गीकरण के लिए वार्षिक विवरणी
(वित्त वर्ष समाप्त होने के 1 माह के भीतर प्रस्तुत की जाए)

1	संस्थान का नाम	
2	समाप्त वर्ष की विवरणी	
3	प्रस्तुति की तारीख	
4	पुनर्वित्त दावे में शामिल ऋण की लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्रेक-अप	

सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	एससी		एसटी		ओबीसी		अन्य		कुल	
		सं.	राशि (करोड़ ₹)	सं.	राशि (करोड़ ₹)	सं.	राशि (करोड़ ₹)	सं.	राशि (करोड़ ₹)	सं.	राशि (करोड़ ₹)
(i)										0	0
(ii)										0	0
(iii)										0	0
(iv)										0	0
(v)										0	0
(vi)										0	0
(vii)										0	0
(viii)										0	0
(ix)										0	0
(x)										0	0
(xi)										0	0
(xii)										0	0
(xiii)										0	0
(xiv)										0	0
(xv)										0	0
(xvi)										0	0
(xvii)										0	0
(xviii)										0	0
(xix)										0	0
(xx)										0	0
(xxi)										0	0
(xxii)										0	0
(xxiii)										0	0
(xxiv)										0	0
(xxv)										0	0
(xxvi)										0	0

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

(xxvii)										0	0
(xxviii)										0	0
(xxix)										0	0
(xxx)										0	0
(xxxi)										0	0
(xxxii)										0	0
(xxxiii)										0	0
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	पुनर्वित्त दावे में शामिल राज्य-वार ग्रामीण और ऋण की शहरी ब्रेक-अप के साथ महिला और अन्य में लाभार्थी वर्गीकरण

सं.	**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश**	**महिला**		**अन्य**		**कुल**	
		सं.	**राशि (करोड़ ₹)**	**सं.**	**राशि (करोड़ ₹)**	**सं.**	**राशि (करोड़ ₹)**
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0
(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
(xi)						0	0
(xii)						0	0
(xiii)						0	0
(xiv)						0	0
(xv)						0	0
(xvi)						0	0
(xvii)						0	0
(xviii)						0	0
(xix)						0	0
(xx)						0	0
(xxi)						0	0
(xxii)						0	0
(xxiii)						0	0
(xxiv)						0	0
(xxv)						0	0
(xxvi)						0	0
(xxvii)						0	0

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

(xxviii)						0	0
(xxix)						0	0
(xxx)						0	0
(xxxi)						0	0
(xxxii)						0	0
(xxxiii)						0	0
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

6	पुनर्वित्त दावे में शामिल राज्य-वार ग्रामीण और ऋण की शहरी ब्रेक-अप के साथ लाभार्थी वर्गीकरण						
सं.	**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश**	**ग्रामीण**		**शहरी**		**कुल**	
		सं.	**राशि (करोड़ ₹)**	**सं.**	**राशि (करोड़ ₹)**	**सं.**	**राशि (करोड़ ₹)**
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0
(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
(xi)						0	0
(xii)						0	0
(xiii)						0	0
(xiv)						0	0
(xv)						0	0
(xvi)						0	0
(xvii)						0	0
(xviii)						0	0
(xix)						0	0
(xx)						0	0
(xxi)						0	0
(xxii)						0	0
(xxiii)						0	0
(xxiv)						0	0
(xxv)						0	0
(xxvi)						0	0
(xxvii)						0	0
(xxviii)						0	0
(xxix)						0	0

(xxx)						0	0
(xxxi)						0	0
(xxxii)						0	0
(xxxiii)						0	0
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
(क्रम सं. 4, 5 और 6 में कुल संख्या और राशि की गणना की जानी चाहिए)							
हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य एवं सही है और हमारी बही से सत्यापित की जा सकती हैं।							

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

अनुबंध II

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों (एसएफबी) हेतु प्रारूप

एनएचबी-एससीबी-01
पुनर्वित्त सीमा हेतु आवेदन

उप महाप्रबंधक पुनर्वित्त परिचालन राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली- 110003
महोदय,

हम .... करोड़ रु. की पुनर्वित्त सीमा के अनुमोदन हेतु आवेदन करते हैं। ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

1	**तारीख**		
2	संस्थान का नाम		
3	**पुनर्वित्त सीमा** *(जो लागू हो चिह्नित करें)*	**वार्षिक**	
		अतिरिक्त	
		अग्रनीत	
4	**वर्ष**	20__-__	
5	**आवेदित राशि**	₹ ________________ (करोड़)	
6	**यथा तारीख को रा.आ.बैंक पुनर्वित्त बकाया**	₹ ________________ (करोड़)	

हमने निम्नलिखित सूचनाएं संलग्न की हैं:

- पिछले तीन वर्षों का वार्षिक रिपोर्ट:

वर्ष	(जो लागू हो चिह्नित करें)
201__-201__	
201__-201__	
201__-201__	

- नवीनतम तिमाही/छमाही वित्तीय परिणाम *(यदि कोई लागू हो)*
- आवास ऋण संवितरण एवं बकाया (संपत्ति पर लिए गए ऋण शामिल नहीं) **:**

(₹ करोड़)

वर्ष	**प्रत्यक्ष आवास ऋण**		**अप्रत्यक्ष आवास ऋण**	
	संवितरण	**यथा 31 मार्च को बकाया**	**संवितरण**	**यथा 31 मार्च को बकाया**
201__-201__				
201__-201__				
201__-201__				

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

टिप्पणियां:

1. यहां केवल मूलधन शामिल होगा;
2. आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.), शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाईटी (एसीएचएफएस), कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) जैसी मध्वर्ती संस्थाओं को दी गई सभी ऋण अप्रत्यक्ष आवास ऋण तैयार करते हैं;
3. रा.आ.बैंक एवं हडको के बॉण्ड में बैंकों द्वारा अभिदान के द्वारा अप्रत्यक्ष आवास वित्त यहां शामिल नहीं होंगे।

▪ आवास ऋणों का आस्ति वर्गीकरण		यथा 31-03-201_
		(₹ करोड़)
आवास ऋणों का वर्गीकरण	**प्रत्यक्ष आवास ऋण**	**अप्रत्यक्ष आवास ऋण**
मानक ऋण		
अव-मानक ऋण		
संदिग्ध ऋण		
हानि ऋण		
कुल	0	0

▪ आवास ऋणों का क्षेत्र-वार वर्गीकरण		यथा 31-03-201_
		(₹ करोड़)
आवास ऋणों का वर्गीकरण	**प्रत्यक्ष आवास ऋण**	**अप्रत्यक्ष आवास ऋण**
शहरी/अर्ध-शहरी		
ग्रामीण		
कुल	0	0

NATIONAL HOUSING BANK

▪ बाहरी क्रडिट रेटिंग का ब्यौरा,यदि प्राप्त किया			
एजेंसी	**साधन**	**दी गई रेटिंग**	**तारीख**

हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य एवं सही है	
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

एनएचबी-एससीबी-02

पुनर्वित्त के संवितरण हेतु आवेदन

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली - 110003

महोदय,

कृपया वैयक्तिक आवास ऋणों के लिये पुनर्वित्त संवितरण नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार किया जा सकता है। विशिष्ट पुनर्वित्त योजना (ओं) के तहत अपेक्षित ब्यौरा जिसके लिये पुनर्वित्त मांगा गया है, अनुबंध ..... में दिया गया है।

1	आवेदन की तारीख			
2	संस्थान का नाम			
3	वर्ष			
4	वर्तमान वर्ष हेतु पुनर्वित्त सीमा (जो लागू हो उस पर टिक करें)	**विवरण**	*यदि लागू हो तो टिक करें*	(₹ करोड़)
		वार्षिक		
		अतिरिक्त		
		अग्रेनीत		
		उपयोजित सीमा		
		बकाया सीमा		
5	संवितरण हेतु मांगी गई राशि	₹_____करोड़		

6	योजना जिसके अंतर्गत वितरण की मांग की जाती है	*यदि लागू हो तो टिक करें √*	(₹ करोड़)	**संलग्न ब्यौरा**
	नियमित पुनर्वित्त योजना			अनुबंध 1
	किफायती आवास निधि की ग्रामीण श्रेणी			अनुबंध 2
	किफायती आवास निधि की शहरी श्रेणी			अनुबंध 3
	केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता			अनुबंध 4
	निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना			अनुबंध 5
	कुल		0	

7	एससीबी की बहियों में कुल शेष वैयक्तिक आवास ऋण	यथा 31 मार्च 20.... को	₹_____ करोड़

8. हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि: (i) इन ऋणों पर राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी भी अन्य संस्थान से कोई भी पुनर्वित्त/वित्तीय सहायता नहीं ली गई है और पुनर्वित्त के लंबित रहने तक ये ऋण लेखा अभारित रहेगें। (ii) आवास ऋणों के संबंध में मांगा गया पुनर्वित्त संबंधित योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुसार दिया गया है और प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हमें समयस-मय पर सूचित सामान्य नीति तथा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है। (iii) वे ऋण जिनके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, बैंक के बहीखातों में दर्ज मौजूदा ऋण हैं और इस प्रपत्र में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुरूप हैं। (iv) घटकों को दिये आवास ऋणों का उनके द्वारा उसी उदेश्य के लिये किया गया है जिसके लिए ऋण प्रदान किये गये है। (v) रा.आ.बैंक पुनर्वित्त के तहत आने वाले आवास ऋणों को राष्ट्रीय आवास बैंक की परिभाषा के अनुसार मानक अस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (vi) हम उन सभी ऋणों की सही पहचान करेंगे जिनके लिए रा.आ.बैंक से वित्तीय सहायता ली गई है और ऐसे सभी ऋणों की सूची बनाई गई है। ऐसे लेखाओं से संबंधित सभी सूचना हमारे पास तुरत उपलब्धता के लिये तैयार रखी जाएगी। वैयक्तिक आवास ऋण रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त से एक बार चिह्नित होने पर रा.आ.बैंक के पूर्व अनुमोदन से बदले जाएंगे और वे कंपनी के बहीखाता में बने रहेंगे तथा स्पष्ट रुप से पहचाने जा सकेंगे। हम ऐसे बही ऋणों की सूची राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराने का वचन देते हैं। इसके अतिरिक्त, शाखाओं में राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त ऋणों की सूची उपलब्ध होगी ताकि निरीक्षण के दौरान उनकी पहचान आसानी से की जा सके। (vii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी सूचना/विवरणियां शीघ्रता से प्रस्तुत की जाएंगी।

9. पुनर्वित्त राशि निम्न बैंक में जमा की जा सकती है।	हमारे खाता सं. _____ जिसका आईएफसी कोड _____ के साथ _____(बैंक/शाखा/स्थान का नाम).
10. पुनर्वित्त पर ब्याज मासिक आधार पर चक्रवृद्धित होगा और तिमाही भुगतान किया जाएगा। 11. हम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रस्तुत चुकौती अनुसूची के अनुसार पुनर्वित्त चुकता करने का वचन देते हैं।	
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-एससीबी - 02 का अनुबंध I
नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**नियमित पुनर्वित्त योजना**		
2	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिए पुनर्वित का दावा किया गया *(1 वर्ष से 15 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**ब्याज दर का प्रकार**	*जो लागू हो कृपया उसपर टिक लगाएं*	
		स्थिर		
		अस्थिर		
5	रियायतें, यदि कोई है तो अनुबंध 1 (क) संलग्न करें	**ऋण का प्रकार**	*जो लागू हो कृपया उसपर टिक लगाएं*	
		₹ 10 लाख तक ऋण		
		ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण		
		महिलाओं को ऋण		
		थर्ड जेंडर के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्तियों हेतु ऋण		
		हरित आवास हेतु ऋण		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़. रू.)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		₹ 25 लाख से ऊपर		
		कुल	0	0
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़. रू.)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		

		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से ऊपर		
		कुल	0	0

8 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा

सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**एससी**		**एसटी**		**ओबीसी**		**अन्य**		**कुल**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)										0	0
(ii)										0	0
(iii)										0	0
(iv)										0	0
(v)										0	0
(vi)										0	0
(vii)										0	0
(viii)										0	0
(ix)										0	0
(x)										0	0
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का महिलाओं एवं अन्य के ब्रेक-अप का लाभार्थी वर्गीकरण

सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**महिलाएं**		**अन्य**		**कुल**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0
(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
Total		0	0	0	0	0	0

10 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का ग्रामीण एवं शहरी ब्रेक-अप का लाभार्थी वर्गीकरण

सं.	**राज्य/केंद्र**	**ग्रामीण**	**शहरी**	**कुल**

	शासित प्रदेश	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0
(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
कुल		0	0	0	0	0	0
(क्र. 8,9 एवं 10 में कुल सं. एवं राशि मिलनी चाहिए)							

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे बहियों से सत्यापित किया जा सकता है।	
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

राष्ट्रीय
NATIONAL
HOUSING BANK

एनएचबी-एससीबी - 02 का अनुबंध I (क)

नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत दावा का ब्यौरा

			इकाईयां	राशि (करोड़ रु.)
1	ऋण के प्रकार जिस हेतु रियायत मांगी गई	₹ 10 लाख तक ऋण		
		ग्रामीण क्षेत्र मे ऋण		
		महिलाओं को ऋण		
		थर्ड जेंडर के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्तियों हेतु ऋण		
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		हरित आवास हेतु ऋण ▪§ घरेलू सौर उपस्कर § जल संचयन § रा.आ.बैंक-केएफडब्ल्यू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% बचाने हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास)		

हम प्रमाणित करते है कि:

(i) वह ऋण जिसके लिए रियायत मांगी गई है, संबंधित रियायत हेतु निर्धारित मानदंड की पुष्टि करता है;

(ii) जहां लाभार्थी के महिला/तीसरी जेंडर का व्यक्ति/ विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्ति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति होने के कारण रियायत मांगी गई है, तो लाभार्थी वित्तपोषित संपत्ति के मालिक/ सह-मालिक हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-एससीबी - 02 का अनुबंध 2
किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना**		
2	दावा की गई राशि (₹ करोड़)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिए पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		कुल	**0**	**0**
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**

7	पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा										
सं.	**राज्य**	**सीमान्त किसान**		**महिलाएं**		**एससी/ एसटी**		**अल्पसंख्यक**		**अन्य**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)											
(ii)											
(iii)											
(iv)											

(v)											
(vi)											
(vii)											
(viii)											
(ix)											
(x)											
(xi)											
(xii)											
(xiii)											
(xiv)											
(xv)											
(xvi)											
(xvii)											
(xviii)											
(xix)											
(xx)											
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते है कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 01-04-2017 को या उसके बाद किया गया;

(iii) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं आता है;

(iv) ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर *भा.रि.बैंक* के मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 14 के अनुसार कमजोर वर्ग के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को दिया गया है - दिनांक 7 जुलाई, 2016 को लक्ष्य और वर्गीकरण, महिला उधारकर्ता, या ग्रामीण जनसंख्या जिनकी वार्षिक आय ₹ 3 लाख से अधिक नहीं है;

(v) जहां ऋण महिला को सह-उधारकर्ताओं में से एक के आधार पर 'कमजोर वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल उन मामलों को दावे के तहत शामिल किया गया है, जहां महिलाओं को संपत्ति वित्त पोषित के सह-मालिक होने के कारण शामिल किया गया है;

(vi) इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा के मानदंड को पूरा करते है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-एससीबी-02 का अनुबंध 3
किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना**				
2	दावाकृत राशि (₹ करोड़)	<<अंकों में>>				
		<<शब्दों में>>				
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3* वर्ष से *7* वर्ष*)*	<<वर्ष एवं महीने>>				
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**				
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**		
		₹ 2 लाख तक				
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख				
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख				
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख				
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख				
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख				
		₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख				
		कुल	**0**	**0**		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**		
		₹ 1 लाख तक				
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख				
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख				
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख				
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख				
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख				
		कुल	**0**	**0**		
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा					

सं.	**राज्य**	**महानगरीय**		**अन्य क्षेत्र**		**कुल**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0

(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
(xi)						0	0
(xii)						0	0
(xiii)						0	0
(xiv)						0	0
(xv)						0	0
(xvi)						0	0
(xvii)						0	0
(xviii)						0	0
(xix)						0	0
(xx)						0	0
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किया गया;

(iii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में आता है;

(iv) शहरी क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋण उन उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 6 लाख से अधिक नहीं है;

(v) इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा के मानदंड को पूरा करते है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम	
पद	

एनएचबी-एससीबी - 02 का अनुबंध 4

केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता के तहत दावे का ब्यौरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता**		
2	दावाकृत राशि (₹ करोड़)	<<अंको में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल वैयक्तिक आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख		
		कुल	**0**	**0**
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 15-08-2018 को या उसके बाद एवं 30-06-2019 किया गया;

(iii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को किया गया है;

(iv) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं आता है;

(v) ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और भा.रि.बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देश(समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग के तहत आने वाले व्यक्तियों; या उन उधारकर्ताओं को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3 लाख से अधिक नहीं है; या महिला उधारकर्ताओं को दी गई है;

(vi) जहां ऋण महिला को सह-उधारकर्ताओं में से एक के आधार पर 'कमजोर वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल उन मामलों को दावे के तहत शामिल किया गया है, जहां महिलाओं को संपत्ति वित्त पोषित के सह-मालिक होने के कारण शामिल किया गया है;

(vii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में आता है;

(viii) शहरी क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋण उन उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 6 लाख से अधिक नहीं है;

(ix) इस दावे में केवल इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा से अधिक अंतिम लाभार्थी से दर प्रभारित नहीं किए जाते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-एससीबी-02 का अनुबंध 5

निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना के तहत दावे का ब्योरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना**		
2	दावाकृत राशि (करोड़ रु.) (₹ करोड़)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया (5 वर्ष से 15 वर्ष)	<<वर्ष एवं महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	वित्त पोषित इकाईयों की संख्या		**प्रतिभूति**	
		आय	**मॉर्टगेज**	**वैकल्पिक रूप से प्रतिभूतिकृत**
		औपचारिक		
		अनौपचारिक		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते है कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 25-02-2013 को या उसके बाद किया गया;

(iii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण शहरी क्षेत्रों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) में स्थित आवास इकाईयों के संबंध में किया गया है;

(iv) ऋण अनौपचारिक आय प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को संवितरित किया गया है;

(v) ऋणों का ऋण मूल्य अनुपात 80% के बराबर या कम है;

(vi) ऋण इस पिरयोजना हेतु निर्धारित पर्यावरण और सामाजिक समुचित सावधानी को पूरा करता है;
(vii) शहरी क्षेत्रों में संवितरित ऋण, जिसके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, आवास इकाईयों की खरीद या निर्माण हेतु ऋणों के मामले में 3 लाख रूपए से कम आय और मौजूदा आवास इकाई की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन हेतु ऋणों के मामले में 2 लाख रू. से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है;
(viii) शहरी क्षेत्रों में संवितरित ऋण, जिसके लिए योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, पीएलआई अपनी ऋण नीति के अनुसार ऋण राशि निर्धारित करता है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

अनुबंध -III

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)) हेतु प्रारूप

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

एनएचबी-आरआरबी-01
पुनर्वित्त सीमा हेतु आवेदन

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली- 110003

महोदय,

हम ..... करोड़ रु. की पुनर्वित्त सीमा के अनुमोदन हेतु आवेदन करते हैं। ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

1	**तारीख**		
2	संस्थान का नाम		
3	**पुनर्वित्त सीमा** *(जो लागू हो चिह्नित करें)*	**वार्षिक**	
		अतिरिक्त	
		अग्रनीत	
4	**वर्ष**	20__-__	
5	**आवेदित राशि**	₹ _____ (करोड़)	
6	**यथा तारीख को रा.आ.बैंक पुनर्वित्त बकाया**	₹ _____ (करोड़)	

हमने निम्नलिखित सूचनाएं संलग्न की हैं:

- पिछले तीन वर्षों का वार्षिक रिपोर्ट:

वर्ष	(जो लागू हो चिह्नित करें)
201__-201__	
201__-201__	
201__-201__	

- नवीनतम तिमाही/छमाही वित्तीय परिणाम *(यदि कोई लागू हो)*
- आवास ऋण संवितरण एवं बकाया (संपत्ति पर लिए गए ऋण शामिल नहीं) :

(₹ करोड़)

वर्ष	**प्रत्यक्ष आवास ऋण**	**अप्रत्यक्ष आवास ऋण**

	संवितरण	यथा 31 मार्च को बकाया		संवितरण
201__-201__				
201__-201__				
201__-201__				

टिप्पणियां:
1. यहां केवल मूलधन शामिल होगा;
2. आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.), शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाईटी (एसीएसएफएस), कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) जैसी मध्वर्ती संस्थाओं को दी गई सभी ऋण अप्रत्यक्ष आवास ऋण तैयार करते हैं;
3. रा.आ.बैंक एवं हडको के बॉण्ड में बैंकों द्वारा अभिदान के द्वारा अप्रत्यक्ष आवास वित्त यहां शामिल नहीं होंगे।

▪ आवास ऋणों का आस्ति वर्गीकरण	यथा 31-03-201_

(₹ करोड़)

आवास ऋणों का वर्गीकरण	प्रत्यक्ष आवास ऋण	अप्रत्यक्ष आवास ऋण
मानक ऋण		
अव-मानक ऋण		
संदिग्ध ऋण		
हानि ऋण		
कुल	0	0

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

▪ आवास ऋणों का क्षेत्र-वार वर्गीकरण	यथा 31-03-201_

(₹ करोड़)

आवास ऋणों का वर्गीकरण	प्रत्यक्ष आवास ऋण	अप्रत्यक्ष आवास ऋण
शहरी/अर्ध-शहरी		
ग्रामीण		
कुल	0	0

▪ बाहरी क्रडिट रेटिंग का ब्यौरा,यदि प्राप्त किया			
एजेंसी	**साधन**	**दी गई रेटिंग**	**तारीख**

हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य एवं सही है	
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पदनाम	

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

एनएचबी-आरआरबी-02

पुनर्वित्त के संवितरण हेतु आवेदन

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली - 110003

महोदय,

कृपया वैयक्तिक आवास ऋणों के लिये पुनर्वित्त संवितरण नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार किया जा सकता है। विशिष्ट पुनर्वित्त योजना (ओं) के तहत अपेक्षित ब्यौरा जिसके लिये पुनर्वित्त मांगा गया है, अनुबंध ..... में दिया गया है।

1	आवेदन की तारीख			
2	संस्थान का नाम			
3	वर्ष			
4	वर्तमान वर्ष हेतु पुनर्वित्त सीमा (जो लागू हो उस पर टिक करें)	**विवरण**	*यदि लागू हो तो टिक करें*	(₹ करोड़)
		वार्षिक		
		अतिरिक्त		
		अग्रेनीत		
		उपयोजित सीमा		
		बकाया सीमा		
5	संवितरण हेतु मांगी गई राशि	₹_____करोड़		

6	योजना जिसके अंतर्गत वितरण की मांग की जाती है	*यदि लागू हो तो टिक करें √*	(₹ करोड़)	**संलग्न ब्यौरा**
	नियमित पुनर्वित्त योजना			अनुबंध 1
	किफायती आवास निधि की ग्रामीण श्रेणी			अनुबंध 2
	किफायती आवास निधि की शहरी श्रेणी			अनुबंध 3
	केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता			अनुबंध 4
	निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना			अनुबंध 5
	कुल		0	

7	आरआरबी की बहियों में कुल शेष वैयक्तिक आवास ऋण	यथा 31 मार्च 20.... को	₹_____ करोड़

8. हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि:

(i) इन ऋणों पर राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी भी अन्य संस्थान से कोई भी पुनर्वित्त/वित्तीय सहायता नहीं ली गई है और पुनर्वित्त के लंबित रहने तक ये ऋण लेखा अभारित रहेगें।

(ii) आवास ऋणों के संबंध में मांगा गया पुनर्वित्त संबंधित योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुसार दिया गया है और प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हमें समयस-मय पर सूचित सामान्य नीति तथा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iii) वे ऋण जिनके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, बैंक के बहीखातों में दर्ज मौजूदा ऋण हैं और इस प्रपत्र में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुरूप हैं।

(iv) घटकों को दिये आवास ऋणों का उनके द्वारा उसी उदेश्य के लिये किया गया है जिसके लिए ऋण प्रदान किये गये है।

(v) रा.आ.बैंक पुनर्वित्त के तहत आने वाले आवास ऋणों को राष्ट्रीय आवास बैंक की परिभाषा के अनुसार मानक अस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(vi) हम उन सभी ऋणों की सही पहचान करेंगे जिनके लिए रा.आ.बैंक से वित्तीय सहायता ली गई है और ऐसे सभी ऋणों की सूची बनाई गई है। ऐसे लेखाओं से संबंधित सभी सूचना हमारे पास तुरत उपलब्धता के लिये तैयार रखी जाएगी। वैयक्तिक आवास ऋण रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त से एक बार चिह्नित होने पर रा.आ.बैंक के पूर्व अनुमोदन से बदले जाएंगे और वे कंपनी के बहीखाता में बने रहेंगे तथा स्पष्ट रुप से पहचाने जा सकेंगे। हम ऐसे बही ऋणों की सूची राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराने का वचन देते हैं। इसके अतिरिक्त, शाखाओं में राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त ऋणों की सूची उपलब्ध होगी ताकि निरीक्षण के दौरान उनकी पहचान आसानी से की जा सके।

(vii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी सूचना/विवरणियां शीघ्रता से प्रस्तुत की जाएंगी।

9. पुनर्वित्त राशि निम्न बैंक में जमा की जा सकती है।	हमारे खाता सं. _____ जिसका आईएफसी कोड _____ के साथ _____ _____(बैंक/शाखा/स्थान का नाम).

10. पुनर्वित्त पर ब्याज मासिक आधार पर चक्रवृद्धित होगा और तिमाही भुगतान किया जाएगा।

11. हम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रस्तुत चुकौती अनुसूची के अनुसार पुनर्वित्त चुकता करने का वचन देते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-आरआरबी - 02 का अनुबंध I				
नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत दावा का ब्यौरा				
1	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**नियमित पुनर्वित्त योजना**		
2	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिए पुनर्वित का दावा किया गया *(1 वर्ष से 15 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**ब्याज दर का प्रकार**	*जो लागू हो कृपया उसपर टिक लगाएं*	
		स्थिर		
		अस्थिर		
5	रियायतें, यदि कोई है तो अनुबंध 1 (क) संलग्न करें	**ऋण का प्रकार**	*जो लागू हो कृपया उसपर टिक लगाएं*	
		₹ 10 लाख तक ऋण		
		ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण		
		महिलाओं को ऋण		
		थर्ड जेंडर के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्तियों हेतु ऋण		
		हरित आवास हेतु ऋण		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़. रू.)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		₹ 25 लाख से ऊपर		
		कुल	0	0
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़. रू.)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		

		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से ऊपर		
		कुल	0	0

8 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा

सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**एससी**		**एसटी**		**ओबीसी**		**अन्य**		**कुल**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)										0	0
(ii)										0	0
(iii)										0	0
(iv)										0	0
(v)										0	0
(vi)										0	0
(vii)										0	0
(viii)										0	0
(ix)										0	0
(x)										0	0
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का महिलाओं एवं अन्य के ब्रेक-अप का लाभार्थी वर्गीकरण

सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**महिलाएं**		**अन्य**		**कुल**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0
(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
Total		0	0	0	0	0	0

10 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का ग्रामीण एवं शहरी ब्रेक-अप का लाभार्थी वर्गीकरण

सं.	**राज्य/केंद्र**	**ग्रामीण**	**शहरी**	**कुल**

	शासित प्रदेश	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0
(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
कुल		0	0	0	0	0	0
(क्र. 8,9 एवं 10 में कुल सं. एवं राशि मिलनी चाहिए)							

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे बहियों से सत्यापित किया जा सकता है।
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)

नाम	
पद	

राष्ट्रीय
NATIONAL
HOUSING BANK

एनएचबी-आरआरबी - 02 का अनुबंध I (क)

नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत दावा का ब्यौरा

			इकाईयां	राशि (करोड़ रु.)
1	ऋण के प्रकार जिस हेतु रियायत मांगी गई	₹ 10 लाख तक ऋण		
		ग्रामीण क्षेत्र मे ऋण		
		महिलाओं को ऋण		
		थर्ड जेंडर के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्तियों हेतु ऋण		
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		हरित आवास हेतु ऋण ▪§ घरेलू सौर उपस्कर § जल संचयन § रा.आ.बैंक-केएफडब्ल्यू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% बचाने हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास)		

हम प्रमाणित करते है कि:

(i) वह ऋण जिसके लिए रियायत मांगी गई है, संबंधित रियायत हेतु निर्धारित मानदंड की पुष्टि करता है;

(ii) जहां लाभार्थी के महिला/तीसरी जेंडर का व्यक्ति/ विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्ति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति होने के कारण रियायत मांगी गई है, तो लाभार्थी वित्तपोषित संपत्ति के मालिक/ सह-मालिक हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-आरआरबी - 02 का अनुबंध 2
किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना**		
2	दावा की गई राशि (₹ करोड़)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिए पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		कुल	**0**	**0**
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**

7 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा

सं.	**राज्य**	**सीमान्त किसान**		**महिलाएं**		**एससी/ एसटी**		**अल्पसंख्यक**		**अन्य**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)											
(ii)											
(iii)											
(iv)											
(v)											
(vi)											
(vii)											

(viii)											
(ix)											
(x)											
(xi)											
(xii)											
(xiii)											
(xiv)											
(xv)											
(xvi)											
(xvii)											
(xviii)											
(xix)											
(xx)											
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते है कि:
(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है; (ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 01-04-2017 को या उसके बाद किया गया; (iii) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं आता है; (iv) ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर *भा.रि.बैंक* के मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 14 के अनुसार कमजोर वर्ग के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को दिया गया है - दिनांक 7 जुलाई, 2016 को लक्ष्य और वर्गीकरण, महिला उधारकर्ता, या ग्रामीण जनसंख्या जिनकी वार्षिक आय ₹ 3 लाख से अधिक नहीं है; (v) जहां ऋण महिला को सह-उधारकर्ताओं में से एक के आधार पर 'कमजोर वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल उन मामलों को दावे के तहत शामिल किया गया है, जहां महिलाओं को संपत्ति वित्त पोषित के सह-मालिक होने के कारण शामिल किया गया है; (vi) इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा के मानदंड को पूरा करते है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-आरआरबी-02 का अनुबंध 3
किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना				
2	दावाकृत राशि (₹ करोड़)	<<अंकों में>>				
		<<शब्दों में>>				
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3* वर्ष से *7* वर्ष*)*	<<वर्ष एवं महीने>>				
4	ब्याज दर का प्रकार	स्थिर				
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**		
		₹ 2 लाख तक				
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख				
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख				
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख				
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख				
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख				
		₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख				
		कुल	**0**	**0**		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**		
		₹ 1 लाख तक				
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख				
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख				
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख				
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख				
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख				
		कुल	**0**	**0**		
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा					

सं.	**राज्य**	**महानगरीय**		**अन्य क्षेत्र**		**कुल**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0

(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
(xi)						0	0
(xii)						0	0
(xiii)						0	0
(xiv)						0	0
(xv)						0	0
(xvi)						0	0
(xvii)						0	0
(xviii)						0	0
(xix)						0	0
(xx)						0	0
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किया गया;

(iii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में आता है;

(iv) शहरी क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋण उन उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 6 लाख से अधिक नहीं है;

(v) इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा के मानदंड को पूरा करते है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम	
पद	

एनएचबी-आरआरबी - 02 का अनुबंध 4

केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता के तहत दावे का ब्यौरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता**		
2	दावाकृत राशि (₹ करोड़)	<<अंको में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल वैयक्तिक आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख		
		कुल	**0**	**0**
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 15-08-2018 को या उसके बाद एवं 30-06-2019 किया गया;

(iii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को किया गया है;

(iv) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं आता है;

(v) ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और भा.रि.बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देश(समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग के तहत आने वाले व्यक्तियों; या उन उधारकर्ताओं को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3 लाख से अधिक नहीं है; या महिला उधारकर्ताओं को दी गई है;

(vi) जहां ऋण महिला को सह-उधारकर्ताओं में से एक के आधार पर 'कमजोर वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल उन मामलों को दावे के तहत शामिल किया गया है, जहां महिलाओं को संपत्ति वित्त पोषित के सह-मालिक होने के कारण शामिल किया गया है;

(vii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में आता है;

(viii) शहरी क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋण उन उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 6 लाख से अधिक नहीं है;

(ix) इस दावे में केवल इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा से अधिक अंतिम लाभार्थी से दर प्रभारित नहीं किए जाते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-आरआरबी-02 का अनुबंध 5

निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना के तहत दावे का ब्योरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना**		
2	दावाकृत राशि (करोड़ रु.) (₹ करोड़)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया (5 वर्ष से 15 वर्ष)	<<वर्ष एवं महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	वित्त पोषित इकाईयों की संख्या		**प्रतिभूति**	
		आय	**मॉर्टगेज**	**वैकल्पिक रूप से प्रतिभूतिकृत**
		औपचारिक		
		अनौपचारिक		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते है कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 25-02-2013 को या उसके बाद किया गया;

(iii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण शहरी क्षेत्रों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) में स्थित आवास इकाईयों के संबंध में किया गया है;

(iv) ऋण अनौपचारिक आय प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को संवितरित किया गया है;

(v) ऋणों का ऋण मूल्य अनुपात 80% के बराबर या कम है;

(vi) ऋण इस पिरयोजना हेतु निर्धारित पर्यावरण और सामाजिक समुचित सावधानी को पूरा करता है;
(vii) शहरी क्षेत्रों में संवितरित ऋण, जिसके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, आवास इकाईयों की खरीद या निर्माण हेतु ऋणों के मामले में 3 लाख रूपए से कम आय और मौजूदा आवास इकाई की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन हेतु ऋणों के मामले में 2 लाख रू. से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है;
(viii) शहरी क्षेत्रों में संवितरित ऋण, जिसके लिए योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, पीएलआई अपनी ऋण नीति के अनुसार ऋण राशि निर्धारित करता है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

अनुबंध -IV

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) एवं राज्य सहकारी बैंकों (एससीओबी) हेतु प्रारूप

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

एनएचबी-यूसीबी-01
पुनर्वित्त सीमा हेतु आवेदन

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली- 110003

महोदय,

हम .... करोड़ रु. की पुनर्वित्त सीमा के अनुमोदन हेतु आवेदन करते हैं। ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

1	**तारीख**		
2	संस्थान का नाम		
3	**पुनर्वित्त सीमा** (*जो लागू हो चिह्नित करें*)	**वार्षिक**	
		अतिरिक्त	
		अग्रनीत	
4	**वर्ष**	20__-__	
5	**आवेदित राशि**	₹ ____________________ (करोड़)	

हमने निम्नलिखित सूचनाएं संलग्न की हैं:

- पिछले तीन वर्षों का वार्षिक रिपोर्ट:

वर्ष	(जो लागू हो चिह्नित करें)
201__-201__	
201__-201__	
201__-201__	

- नवीनतम तिमाही/छमाही वित्तीय परिणाम *(यदि कोई लागू हो)*
- आवास ऋण संवितरण एवं बकाया (संपत्ति पर लिए गए ऋण शामिल नहीं) :

(₹ करोड़)

वर्ष	**प्रत्यक्ष आवास ऋण**		**अप्रत्यक्ष आवास ऋण**	
	संवितरण	**यथा 31 मार्च को बकाया**	**संवितरण**	**यथा 31 मार्च को बकाया**
201__-201__				
201__-201__				
201__-201__				

टिप्पणियां:

i. यहां केवल मूलधन शामिल होगा;

ii. आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.), शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाईटी (एसीएसएफएस), कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) जैसी मध्वर्ती संस्थाओं को दी गई सभी ऋण अप्रत्यक्ष आवास ऋण तैयार करते हैं;

iii. रा.आ.बैंक एवं हडको के बॉण्ड में बैंकों द्वारा अभिदान के द्वारा अप्रत्यक्ष आवास वित्त यहां शामिल नहीं होंगे।

▪ आवास ऋणों का आस्ति वर्गीकरण	यथा 31-03-201_
	(₹ करोड़)

आवास ऋणों का वर्गीकरण	प्रत्यक्ष आवास ऋण	अप्रत्यक्ष आवास ऋण
मानक ऋण		
अव-मानक ऋण		
संदिग्ध ऋण		
हानि ऋण		
कुल	0	0

▪ आवास ऋणों का क्षेत्र-वार वर्गीकरण	यथा 31-03-201_
	(₹ करोड़)

आवास ऋणों का वर्गीकरण	प्रत्यक्ष आवास ऋण	अप्रत्यक्ष आवास ऋण
शहरी/अर्ध-शहरी		
ग्रामीण		
कुल	0	0

▪ बाहरी क्रडिट रेटिंग का ब्यौरा,यदि प्राप्त किया

एजेंसी	साधन	दी गई रेटिंग	तारीख

हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य एवं सही है

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम	
पदनाम	

एनएचबी-यूसीबी-02

पुनर्वित्त के संवितरण हेतु आवेदन

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली - 110003

महोदय,

कृपया वैयक्तिक आवास ऋणों के लिये पुनर्वित्त संवितरण नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार किया जा सकता है। विशिष्ट पुनर्वित्त योजना (ओं) के तहत अपेक्षित ब्यौरा जिसके लिये पुनर्वित्त मांगा गया है, अनुबंध ..... में दिया गया है।

1	आवेदन की तारीख			
2	संस्थान का नाम			
3	वर्ष			
4	वर्तमान वर्ष हेतु पुनर्वित्त सीमा (जो लागू हो उस पर टिक करें)	**विवरण**	*यदि लागू हो तो टिक करें*	(₹ करोड़)
		वार्षिक		
		अतिरिक्त		
		अग्रेनीत		
		उपयोजित सीमा		
		बकाया सीमा		
5	संवितरण हेतु मांगी गई राशि	₹_____करोड़		

6	योजना जिसके अंतर्गत वितरण की मांग की जाती है	*यदि लागू हो तो टिक करें √*	(₹ करोड़)	**संलग्न ब्यौरा**
	नियमित पुनर्वित्त योजना			अनुबंध 1
	किफायती आवास निधि की ग्रामीण श्रेणी			अनुबंध 2
	किफायती आवास निधि की शहरी श्रेणी			अनुबंध 3
	केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता			अनुबंध 4
	निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना			अनुबंध 5
	कुल		0	

7	यूसीबी की बहियों में कुल शेष वैयक्तिक आवास ऋण	यथा 31 मार्च 20.... को	₹_____ करोड़

8. हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि:

(i) इन ऋणों पर राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी भी अन्य संस्थान से कोई भी पुनर्वित्त/वित्तीय सहायता नहीं ली गई है और पुनर्वित्त के लंबित रहने तक ये ऋण लेखा अभारित रहेगें।

(ii) आवास ऋणों के संबंध में मांगा गया पुनर्वित्त संबंधित योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुसार दिया गया है और प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हमें समयस-मय पर सूचित सामान्य नीति तथा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iii) वे ऋण जिनके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, बैंक के बहीखातों में दर्ज मौजूदा ऋण हैं और इस प्रपत्र में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुरूप हैं।

(iv) घटकों को दिये आवास ऋणों का उनके द्वारा उसी उदेश्य के लिये किया गया है जिसके लिए ऋण प्रदान किये गये है।

(v) रा.आ.बैंक पुनर्वित्त के तहत आने वाले आवास ऋणों को राष्ट्रीय आवास बैंक की परिभाषा के अनुसार मानक अस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(vi) हम उन सभी ऋणों की सही पहचान करेंगे जिनके लिए रा.आ.बैंक से वित्तीय सहायता ली गई है और ऐसे सभी ऋणों की सूची बनाई गई है। ऐसे लेखाओं से संबंधित सभी सूचना हमारे पास तुरत उपलब्धता के लिये तैयार रखी जाएगी। वैयक्तिक आवास ऋण रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त से एक बार चिह्नित होने पर रा.आ.बैंक के पूर्व अनुमोदन से बदले जाएंगे और वे कंपनी के बहीखाता में बने रहेंगे तथा स्पष्ट रुप से पहचाने जा सकेंगे। हम ऐसे बही ऋणों की सूची राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराने का वचन देते हैं। इसके अतिरिक्त, शाखाओं में राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त ऋणों की सूची उपलब्ध होगी ताकि निरीक्षण के दौरान उनकी पहचान आसानी से की जा सके।

(vii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी सूचना/विवरणियां शीघ्रता से प्रस्तुत की जाएंगी।

9. पुनर्वित्त राशि निम्न बैंक में जमा की जा सकती है।	हमारे खाता सं. _____ जिसका आईएफसी कोड _____ के साथ _____ _____(बैंक/शाखा/स्थान का नाम).

10. पुनर्वित्त पर ब्याज मासिक आधार पर चक्रवृद्धित होगा और तिमाही भुगतान किया जाएगा।

11. हम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रस्तुत चुकौती अनुसूची के अनुसार पुनर्वित्त चुकता करने का वचन देते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-यूसीबी- 02 का अनुबंध I				
नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत दावा का ब्यौरा				
1	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**नियमित पुनर्वित्त योजना**		
2	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिए पुनर्वित का दावा किया गया *(1 वर्ष से 15 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**ब्याज दर का प्रकार**	*जो लागू हो कृपया उसपर टिक लगाएं*	
		स्थिर		
		अस्थिर		
5	रियायतें, यदि कोई है तो अनुबंध 1 (क) संलग्न करें	**ऋण का प्रकार**	*जो लागू हो कृपया उसपर टिक लगाएं*	
		₹ 10 लाख तक ऋण		
		ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण		
		महिलाओं को ऋण		
		थर्ड जेंडर के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्तियों हेतु ऋण		
		हरित आवास हेतु ऋण		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़. रू.)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		₹ 25 लाख से ऊपर		
		कुल	0	0
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़. रू.)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		

		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से ऊपर		
		कुल	0	0

8 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा

सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एससी		एसटी		ओबीसी		अन्य		कुल	
		सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)
(i)										0	0
(ii)										0	0
(iii)										0	0
(iv)										0	0
(v)										0	0
(vi)										0	0
(vii)										0	0
(viii)										0	0
(ix)										0	0
(x)										0	0
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का महिलाओं एवं अन्य के ब्रेक-अप का लाभार्थी वर्गीकरण

सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	महिलाएं		अन्य		कुल	
		सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0
(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
Total		0	0	0	0	0	0

10 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का ग्रामीण एवं शहरी ब्रेक-अप का लाभार्थी वर्गीकरण

सं.	राज्य/केंद्र	ग्रामीण	शहरी	कुल

	शासित प्रदेश	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0
(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
कुल		0	0	0	0	0	0
(क्र. 8,9 एवं 10 में कुल सं. एवं राशि मिलनी चाहिए)							

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे बहियों से सत्यापित किया जा सकता है।
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)

नाम	
पद	

राष्ट्रीय NATIONAL HOUSING BANK

एनएचबी-यूसीबी - 02 का अनुबंध I (क)

नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत दावा का ब्यौरा

			इकाईयां	राशि (करोड़ रु.)
1	ऋण के प्रकार जिस हेतु रियायत मांगी गई	₹ 10 लाख तक ऋण		
		ग्रामीण क्षेत्र मे ऋण		
		महिलाओं को ऋण		
		थर्ड जेंडर के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्तियों हेतु ऋण		
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण		
		हरित आवास हेतु ऋण ▪§ घरेलू सौर उपस्कर § जल संचयन § रा.आ.बैंक-केएफडब्ल्यू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% बचाने हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास)		

हम प्रमाणित करते है कि:

(i) वह ऋण जिसके लिए रियायत मांगी गई है, संबंधित रियायत हेतु निर्धारित मानदंड की पुष्टि करता है;

(ii) जहां लाभार्थी के महिला/तीसरी जेंडर का व्यक्ति/ विकलांग या अन्य प्रकार से अपंग व्यक्ति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति होने के कारण रियायत मांगी गई है, तो लाभार्थी वित्तपोषित संपत्ति के मालिक/ सह-मालिक हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-यूसीबी- 02 का अनुबंध 2
किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त का दावा किया गया है	**किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना**		
2	दावा की गई राशि (₹ करोड़)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिए पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		कुल	**0**	**0**
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (.करोड़ रु)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**

7 पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा

सं.	**राज्य**	**सीमान्त किसान**		**महिलाएं**		**एससी/ एसटी**		**अल्पसंख्यक**		**अन्य**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)											
(ii)											
(iii)											
(iv)											
(v)											
(vi)											
(vii)											

(viii)											
(ix)											
(x)											
(xi)											
(xii)											
(xiii)											
(xiv)											
(xv)											
(xvi)											
(xvii)											
(xviii)											
(xix)											
(xx)											
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते है कि:
(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है; (ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 01-04-2017 को या उसके बाद किया गया; (iii) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं आता है; (iv) ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर *भा.रि.बैंक* के मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 14 के अनुसार कमजोर वर्ग के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को दिया गया है - दिनांक 7 जुलाई, 2016 को लक्ष्य और वर्गीकरण, महिला उधारकर्ता, या ग्रामीण जनसंख्या जिनकी वार्षिक आय ₹ 3 लाख से अधिक नहीं है; (v) जहां ऋण महिला को सह-उधारकर्ताओं में से एक के आधार पर 'कमजोर वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल उन मामलों को दावे के तहत शामिल किया गया है, जहां महिलाओं को संपत्ति वित्त पोषित के सह-मालिक होने के कारण शामिल किया गया है; (vi) इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा के मानदंड को पूरा करते है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-यूसीबी-02 का अनुबंध 3
किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत दावा का ब्यौरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना**				
2	दावाकृत राशि (₹ करोड़)	<<अंकों में>>				
		<<शब्दों में>>				
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3* वर्ष से *7* वर्ष*)*	<<वर्ष एवं महीने>>				
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**				
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**		
		₹ 2 लाख तक				
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख				
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख				
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख				
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख				
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख				
		₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख				
		कुल	**0**	**0**		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**		
		₹ 1 लाख तक				
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख				
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख				
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख				
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख				
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख				
		कुल	**0**	**0**		
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्यौरा					

सं.	**राज्य**	**महानगरीय**		**अन्य क्षेत्र**		**कुल**	
		सं.	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**	**सं.**	**राशि (₹ करोड़)**
(i)						0	0
(ii)						0	0
(iii)						0	0
(iv)						0	0

(v)						0	0
(vi)						0	0
(vii)						0	0
(viii)						0	0
(ix)						0	0
(x)						0	0
(xi)						0	0
(xii)						0	0
(xiii)						0	0
(xiv)						0	0
(xv)						0	0
(xvi)						0	0
(xvii)						0	0
(xviii)						0	0
(xix)						0	0
(xx)						0	0
कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किया गया;

(iii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में आता है;

(iv) शहरी क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋण उन उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 6 लाख से अधिक नहीं है;

(v) इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा के मानदंड को पूरा करते है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम	
पद	

एनएचबी-यूसीबी - 02 का अनुबंध 4

केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता के तहत दावे का ब्यौरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को रियायती आवास ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सहायता**		
2	दावाकृत राशि (₹ करोड़)	<<अंको में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	पुनर्वित्त दावा में शामिल वैयक्तिक आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से ₹ 15 लाख		
		₹ 15 लाख से ₹ 20 लाख		
		₹ 20 लाख से ₹ 25 लाख		
		₹ 25 लाख से ₹ 30 लाख		
		कुल	**0**	**0**
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक पारिवारिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		₹ 3 लाख से ₹ 4 लाख		
		₹ 4 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 6 लाख		
		₹ 6 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 15-08-2018 को या उसके बाद एवं 30-06-2019 किया गया;

(iii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को किया गया है;

(iv) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं आता है;

(v) ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के ग्रामीण श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और भा.रि.बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देश(समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग के तहत आने वाले व्यक्तियों; या उन उधारकर्ताओं को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3 लाख से अधिक नहीं है; या महिला उधारकर्ताओं को दी गई है;

(vi) जहां ऋण महिला को सह-उधारकर्ताओं में से एक के आधार पर 'कमजोर वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल उन मामलों को दावे के तहत शामिल किया गया है, जहां महिलाओं को संपत्ति वित्त पोषित के सह-मालिक होने के कारण शामिल किया गया है;

(vii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सांविधिक शहर की परिभाषा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में आता है;

(viii) शहरी क्षेत्र जिसके लिए किफायती आवास निधि के शहरी श्रेणी के तहत के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋण उन उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 6 लाख से अधिक नहीं है;

(ix) इस दावे में केवल इस दावे में केवल उन ऋणों को शामिल किया गया है, जो किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त योजना के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की उच्चतम सीमा से अधिक अंतिम लाभार्थी से दर प्रभारित नहीं किए जाते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

एनएचबी-यूसीबी-02 का अनुबंध 5

निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना के तहत दावे का ब्योरा

1	योजना जिसके तहत पुनर्वित्त का दावा किया गया	**निम्न आय परिवारों हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना**		
2	दावाकृत राशि (करोड़ रु.) (₹ करोड़)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3	अवधि जिसके लिये पुनर्वित्त का दावा किया गया (5 वर्ष से 15 वर्ष)	<<वर्ष एवं महीने>>		
4	ब्याज दर का प्रकार	**स्थिर**		
5	वित्त पोषित इकाईयों की संख्या		**प्रतिभूति**	
		आय	**मॉर्टगेज**	**वैकल्पिक रूप से प्रतिभूतिकृत**
		औपचारिक		
		अनौपचारिक		
6	पुनर्वित्त दावा में शामिल आवास ऋणों का राशि-वार ब्यौरा	**ऋण राशि**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 2 लाख तक		
		₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख		
		₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख		
		₹ 10 लाख से अधिक		
		कुल	**0**	**0**
7	पुनर्वित्त दावा में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्यौरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
		₹ 1 लाख तक		
		₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख		
		₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख		
		कुल	**0**	**0**

हम प्रमाणित करते है कि:

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 25-02-2013 को या उसके बाद किया गया;

(iii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण शहरी क्षेत्रों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) में स्थित आवास इकाईयों के संबंध में किया गया है;

(iv) ऋण अनौपचारिक आय प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को संवितरित किया गया है;

(v) ऋणों का ऋण मूल्य अनुपात 80% के बराबर या कम है;

(vi) ऋण इस पिरयोजना हेतु निर्धारित पर्यावरण और सामाजिक समुचित सावधानी को पूरा करता है;
(vii) शहरी क्षेत्रों में संवितरित ऋण, जिसके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, आवास इकाईयों की खरीद या निर्माण हेतु ऋणों के मामले में 3 लाख रूपए से कम आय और मौजूदा आवास इकाई की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन हेतु ऋणों के मामले में 2 लाख रू. से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ताओं को संवितरित की गई है;
(viii) शहरी क्षेत्रों में संवितरित ऋण, जिसके लिए योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, पीएलआई अपनी ऋण नीति के अनुसार ऋण राशि निर्धारित करता है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)	
नाम	
पद	

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK